राजस्थान विधान सभा

द्वितीय बैठक, दिनांक १० फरवरी, १९५३

सदन का कार्य ८ बज कर ५३ मिनट पर प्रारम्भ हुआ।

(अध्यक्ष, श्री नरोत्तमलाल जोशी, पदासीन)

श्री गोपालास्वामी आयंगर के निधन पर सदस्यों द्वारा अर्पित श्रद्धांजलि।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, आज का काम शुरू हो इससे पहले में श्रीमान् को एक दु:खद-घटना की सूचना देना चाहता हूं कि भारत सरकार के रक्षामंत्री और भूतपूर्व रियासती मंत्री, श्री गोपालास्वामी आयंगर, का स्वर्गवास हो गया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि प्रश्न पूछे जायं या दूसरा काम शुरू हो उससे पहले हम श्री गोपालास्वामी के स्वर्गवास के उपलक्ष में कुछ शब्द कहें।

अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही दु:खद बात है कि यह सूचना हमारे पहले ही पहले दिन हमें मिली। श्री गोपालास्वामी एक बहुत पुराने कार्यकर्ता या यों कहा जाय कि शासक थे। उन्होंने काश्मीर में, जिन दिनों कि स्थिति बहुत गंभीर थी बहुत अच्छे ढंग से काम काज को चलाया और वहां के राजा तथा प्रजा सबको संतोष देने की कोशिश ही नहीं की बल्कि कामयाबी से संतुष्ट किया। इसके बाद जब वे स्टेट मिनिस्ट्री में मंत्री के तौर पर आये तब भी उन्होंने रियासती जनता की सेवा की। राजाओं के साथ भी अच्छा व्यवहार–बरताव रखते हुए काफी सुन्दर तरीके से उन्होंने शासन का काम चलाया। रेल्वे मंत्री के तौर पर भी उन्होंने भारत सरकार और भारतीय जनता की सेवा की। श्री गोपालास्वामी काफी बुजुर्ग थे और काफी बुजुर्ग होते हुए भी उन्होंने काफी परिश्रम किया। कई बार वे मंत्री थे और उनकी इच्छा थी कि आगे जाकर मंत्री न भी रहें पर चूंकि देश को उनकी आवश्यकता थी और प्रधान मंत्री ने कहा, इसलिये उन्होंने दुबारा मंत्री होना स्वीकार किया।

रियासती सचिवालय का काम भारी होने की वजह से वे बीमार हो गये और यह बहुत शोक की बात है कि इस बीमारी से वे वापिस दुरुस्त नहीं हुए। अभी कुछ समय पहले, यह मालुम हुआ है कि प्रात: काल ३ बज कर ४० मिनिट पर उनका अवसान हो गया। यह हमारे लिये बहुत दु:ख की बात है और मैं समझता हूं कि जब मैं यह बात कहता हूं तो न सिर्फ अपनी और सरकार की ओर से कहता हूं बल्कि सारे हाउस की राय जाहिर करता हूं। इसलिये हम आज उनके प्रति शोक प्रकट करें और उनके कुटुंब के प्रति सहानुभूति का इजहार करें। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को स्वीकार करेंगे और इन भावनाओं को, जहां जहां पहुंचाना हो, जैसे भारत सरकार और उनके कुटुंब तक, पहुंचाएं।

श्री जसवन्तसिंह (विरोधी-दल के नेता—अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के नेता द्वारा एक दुःखद घटना का जिक्र किया गया; उसमें मैं विरोधी-दल की तरफ से भी शामिल होता हूं और जैसी भावनाएं सदन के नेता ने प्रकट की हैं वैसी ही और उतनी ही भावनाएं इस सदन के इस पक्ष की तरफ से मैं भी प्रकट करता हूं। यह ऐसा अवसर नहीं है जब कि उनके लिये ज्यादा कहा जाय। भारत को स्वराज्य मिलने से पहले भी इस देश में उनकी बडी सेवायें रह चुकी हैं। रियासतों में और खास करके काश्मीर में, जैसा कि अभी श्री व्यासजी ने फरमाया, उनकी बडी अमूल्य सेवाएं रहीं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उनकी सेवाएं बडी अमूल्य रहीं। हमारे प्रधान मंत्री–पंडित जवाहरलाल नेहरू–के वे एक विश्वासपात्र सलाहकार थे और कोई भी ऐसा मामला नहीं होता था जो उनकी सलाह के बगैर किया जाता रहा हो।

भारतवर्ष को स्वतन्त्रता मिलते ही काश्मीर की समस्या जो हमारे सामने आई, उसमें जो हिस्सा सर गोपालास्वामी आयंगर ने लिया और नेहरूजी का जो हाथ उन्होंने बंटाया वह एक बहुत बड़ा हिस्सा था और आज भी जेनेवा में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो काश्मीर के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है उसमें उनकी गैरहाजरी जोरों से महसूस की जाती है। वे बीमार होने की वजह से, वहां न जा सके एक प्रान्त के गवर्नर को उनकी बजाय वहां भेजा गया। उनकी इतनी सेवाएं देश में हर प्रकार से होते हुए भी उनका राजस्थान से एक रियासती मंत्री होने के नाते घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। राजस्थान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। वे हमारे साथ बडी सहानुभूति से पेश आये। मैं इसके लिये हाउस के इस पक्ष की ओर से उनके परिवार को एवं भारत सरकार को संवेदना भेजने के लिए सदन के नेता के साथ सहमत हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, यह सचमुच देश का दुर्भाग्य है कि जब देश को अनुभवी शासकों की बहुत अधिक आवश्यकता है, सर गोपालास्वामी आयंगर जैसे अनुभवी शासक हमारे बीच में से उठ गये हैं। सर गोपालास्वामी बहुत पुराने शासक थे। उन्होंने बतौर एक ब्युरोक्रेटिक के अपना केरियर शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु और उनके अनुभव बढ़ते गये वे एक पब्लिक मैन बनते गये। रियासतों में जो उनका काम रहा है और विशेष रूप से काश्मीर रियासत में जो उन्होंने शासन चलाया उसको कोई भी यह नहीं कह सकता कि पब्लिक मैन के अलावा दूसरा कोई दूसरी प्रकार से शासन चला सकता था। सर गोपालास्वामी आयंगर पहले आदमी थे जिन्होंने काश्मीर की ओर ध्यान दिया और वहां वैधानिक शासन कायम किया। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद उनका हिस्सा महत्वपूर्ण रहा है। हमारे प्रधान मंत्री जानते हैं कि उनका कितना बडा हिस्सा था, उनकी कितनी बडी शक्ति थी। सर गोपालास्वामी आयंगर के दुःखद अवसान से हम सब को तो दुःख है ही किन्तु मैं समझता हूं कि भारत के प्रधान मंत्री को इसका सबसे अधिक दुःख होगा, सर गोपालास्वामी आयंगर को खोकर। उनके जैसे योग्य साथी थोडे हुआ करते हैं जो अस्वस्थ होने पर भी राज्य के कामों में हमारे प्रधान मंत्री को, हमारे देश के दूसरे नेताओं को बराबर सलाह देते रहे थे और अन्तिम समय तक अपनी शक्ति का उपयोग देश के लिये करते रहे। जहां तक हम लोगों का और राजस्थान का ताल्लुक है, राजस्थान की जितनी सेवाएं उन्होंने की, उनके लिये हम उनके प्रति पूरी तरह से तो आभार प्रगट नहीं कर सकते फिर भी हम उनके बडे कृतज्ञ हैं। स्वर्गीय सरदार के बाद दूसरा स्थान सर गोपालास्वामी आयंगर का आता है। मुझे मालुम है कि उन्होंने किस

सहृदयता से, किस कुशलता से हमारे शासन को चलाने में हमें मदद दी। बहुत वृद्ध होने पर भी, उनके वृद्ध हाथों में जो विभाग थे, वे बहुत महत्वपूर्ण थे और उन्होंने रक्षा मंत्री के कार्यों को अपने वृद्ध हाथों में बहुत मजबूती से पकड़ा और उसका संचालन कुशलता से किया। आज उनकी कमी सारे देश को महसूस हो रही है और सबसे अधिक, जैसा कि मैंने निवेदन किया, हमारे प्रधान मंत्री को दुःख है। हम सब उनके स्वजनों और कुटुम्बियों को संवेदना प्रगट करें और हम प्रधान मंत्री को यह संवाद भेजें कि सर गोपालास्वामी आयंगर के निधन से जो नुकसान हुआ है, उसे जितना वे महसूस करते हैं उतना ही हम भी महसूस करते हैं।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, सर गोपालास्वामी आयंगर के निधन से आज हमें ही दुःख नहीं हुआ, राजस्थान को ही दुःख नहीं हुआ बल्कि सारे देश को बहुत ही दुःख हुआ होगा। सर गोपालास्वामी आयंगर उन शासकों में से थे जिनको वास्तव में लोकप्रिय कह सकते हैं। पार्लियामेन्ट के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, उनको वह सम्मान प्राप्त था कि गवर्नमेन्ट बैन्चेज ही नहीं बल्कि ऑपोजीशन के लोग भी उन पर श्रद्धा और प्रेम रखते थे। मैं यह कह सकता हूं कि पं० नेहरू मुबारकबादी के पात्र हैं, इस बात से कि उनको सर गोपालास्वामी आयंगर जैसे शासक का योग प्राप्त हुआ। श्री गोपालास्वामी आयंगर उस समय तक अमर रहेंगे जब तक भारत का विधान रहेगा। भारत के विधान के निर्माताओं में से वे एक थे और मैं यह कह सकता हूं कि अगर हमारे सब ही शासक सर गोपालास्वामी आयंगर के पद चिन्हों पर चलें तो देश का शासन सुधर सकता है और देश के अन्दर एक बहुत अच्छा वातावरण उत्पन्न हो सकता है। इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ, हाउस के नेता ने जो भावना प्रगट की है उनके साथ अपने आपको पूर्ण रूप से सम्मिलित करता हूं और उनके परिवार के साथ संवेदना प्रगट करता हूं। भारत के प्रधान मंत्री के साथ भी और उन लोगों को भी जैसा कि हमारे हाउस के उप-नेता ने कहा है, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सर गोपालास्वामी के निधन से जो हमें दुःख हुआ है उसको बर्दाश्त करने की परमात्मा हमें शक्ति दे और हम सब लोग मिलकर उनके काम को पूरा करें।

श्री अध्यक्ष—जो दुःखद समाचार हमें आज प्रातःकाल मिले हैं उसके लिये हम वास्तव में बहुत दुखी हैं। सर गोपालास्वामी आयंगर की कर्तव्यनिष्ठा से जो छाप हम पर पड़ी है वह उनके काम में सतत लगे रहने के कारण से है जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन कर्तव्य-कर्म के अन्दर लगा दिया और यहां तक कि उन्होंने अपने जीवन की ऐसी बाजी ही लगा दी कि वे आज हमारे बीच में नहीं रहे। हमारी, उनके शोक सन्तप्त परिवार के साथ, हमारे प्रधान मंत्री के साथ, पूर्ण सहानुभूति है और इस दुःख के अन्दर हम उनके साझीदार हैं, भागी हैं हम जगन्नियन्ता से प्रार्थना करते हैं कि वह मृत-आत्मा को शान्ति प्रदान करे। मैं सदन के सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया एक मिनट के लिये खड़े होकर मृत-आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(मृत-आत्मा की शान्ति के लिये सदन के सदस्यों ने खड़े होकर एक मिनट के लिये प्रार्थना की)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न ।

प्रश्न संख्या १

श्री अवनिकुमार मुकर्जी — (*a*) Is the **Minister-in-charge Civil Supplies** aware that the question of "Control" or "decontrol" is engaging the attention of the Central and other States Governments?

(*b*) In the circumstances, will the Minister concerned kindly state what views are held by the Government of Rajasthan on this question of vital importance?

(*c*) Also, in this connection, will the Minister concerned further kindly state whether any change has been effected in the system of procurement and distribution of food grains and other essential commodities *interse* Rajasthan Union or in the system of their export outside the Union?

(*d*) Still further, will the Minister concerned state whether it is the intention of the Government to call a conference consisting of officials and non-officials to gauge public opinion in the matter.? If it is so intended will the Minister concerned provide an opportunity to the members of the House to express their views also in the matter in a food debate?

If the reply is in affirmative will the Minister-in-charge enlighten by what date such a conference is proposed to be called? If the reply is in the negative the reasons for not doing so be disclosed to the House.

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद विभाग मंत्री)—(अ) हां ।

(ब) जहां तक राजस्थान सरकार का संबंध है, नीति क्रमशः विनियंत्रण की है।

(स) हां ।

(द) आवश्यकतानुसार ।

शेष के लिये प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या २

श्री सज्जनसिंह—Will the **Minister-in-charge Irrigation** be pleased to state budget figures of 1951-52 and 52-53 for the following allotment in each division:—

(*a*) Maintenance and Repairs (*b*) 'A' works;
(*e*) Extension and Improvements ; and (*d*) Capital.

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—

STATEMENT OF BUDGET FIGURES FOR 1951-52 & 1952-53.
(CAPITAL).

S. No. Name of Division.	68 Capital						80 Capital		Total	
	Capital works		Other works.		Total					
	1951-52	1952-53	1951-52	1952-53	1951-52	1952-53	1951-52	1952-53	1951-52	1952-58
1. Udaipur	..	..	71000	320000	71000	320000	..	..	..	..
2. Kankroli	..	..	230000	293000	230000	293000	..	..	..	..
3. Jawai	2347000	2347000	..	..	2347000	2347000	..	..	..	..
4. Jaipur East	..	..	1307000	585000	1307000	585000	..	..	..	..
5. Jaipur West	..	..	10000	..	10000	..	..	..	..	..
6. Matsya	..	..	510000	123000	510000	123000	..	..	..	..
7. Kotah	..	..	410000	..	410000	..	..	..	..	..
8. Gang Canal.	126000	117000	..	..	126000	117000	..	..	..	..
9. Bhakra Project	..	..	..	..	..	..	687000	6578000	687000	6578000
Total ..	2473000	2464000	2538000	1321000	5011000	3785000	687000	6578000	687000	6578000

STATEMENT OF BUDGET FIGURES FOR 1951-52 & 1952-53.
(MAINTENANCE AND REPAIRS).

S. No.	Name of Division.	XVII Irrigation 1951-52	XVII Irrigation 1952-53	18 Irrigation 1951-52	18 Irrigation 1952-53	Total 1951-52	Total 1952-53
1.	Udaipur	..	..	250000	133600	250000	133600
2.	Kankroli	..	..	300000	283900	300000	283900
3.	Jawai	..	..	100000	60400	100000	60400
4.	Jaipur East	..	..	220000	158000	220000	158000
5.	Jaipur West	..	..	200000	120000	200000	120000
6.	Matsya	..	..	375000	242000	375000	242000
7.	Kotah	..	..	300000	246000	300000	246000
8.	Gang Canal	1127000	998000	..	6100	1127000	1004100
9.	Ghaggar Canal	40000	28000	..	..	40000	28000
	Total ..	1167000	1026000	1745000	1250000	2912000	2276000

STATEMENT OF BUDGET FIGURES FOR 1951-52 & 1952-53.
(A—WORKS).

S. No.	Name of Division	18 Irrigation 1951-52	18 Irrigation 1952-53	19 AdHoc. 1951-52	19 AdHoc. 1952-53	Total 1951-52	Total 1952-53
1.	Udaipur	34460	187200	279000	1077000	623600	1264200
2.	Kankroli	62500	11100	230000	470000	62500	581100
3.	Jawai	40000	272000	..	..	40000	272000
4.	Jaipur East	103000	163000	446000	887000	549000	1050000
5.	Jaipur West	174000	146000	75000	386000	249000	532000
6.	Matsya	769400	345000	..	..	769400	345000
7.	Kotah	303500	158000	..	..	303500	158000
	Total ..	1797000	1382300	830000	2820000	2627009	4202300

STATEMENT ON BUDGET FIGURES FOR 1951-52 & 1952-53
(EXTENSION AND IMPROVEMENTS).

S. No.	Name of Division	XVII Irrigation 1951-52	XVII Irrigation 1952-53	18 Irrigation 1951-52	18 Irrigation 1952-53	Total 1951-52	Total 1952-53
1.	Udaipur	..	..	268000	905000	268000	905000
2.	Kankroli	..	..	245500	296000	245500	296000
3.	Jawai	..	..	80000	50000	80000	50000
4.	Jaipur East	..	..	142000	134000	142000	134000
5.	Jaipur West	..	..	105000	112000	105000	112000
6.	Matsya	..	..	100000	172000	100000	172000
7.	Kotah	..	..	291500	20000	291500	20000
8.	Gang Canal	457000	500000	..	..	457000	500000
	Total ..	457000	500000	1232000	1689000	1689000	2189000

श्री सज्जनसिंह—मैंने प्रश्न डिविज़नवाइज़ पूछा था और उत्तर में जो उत्तर दिया गया है वह डिविज़नवाइज़ नहीं है ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने डिविज़नवाइज़ ही जवाब दिया है । माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि रेवेन्यु और इरिगेशन विभागों के डिविजन अलग अलग होते हैं ।

श्री सज्जनसिंह—मैंने जो प्रश्न किया था वह यह था कि कोटा, उदयपुर, जयपुर इत्यादि डिविज़नवाइज़ क्या फिगर्स हैं ?

श्री अध्यक्ष—He says that the Revenue Divisions are separate and Irrigation Divisions are separate and that he has stated the figures division wise according to Irrigatian Divisions.

श्री जसवन्तसिंह—अगर माननीय सदस्य ने डिविज़नवाइज़ पूछा तो मंत्री महोदय को क्या आपत्ति है कि वे इरिगेशन और रेवेन्यू दोनों के डिविज़नवाइज़ फ़िगर्स बता दें ।

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रश्नकर्ता ने यह नहीं पूछा था । उन्होंने इरिगेशन मिनिस्टर को पूछा और इसीलिये इरिगेशन के डिविजन के हिसाब से जवाब दिया ।

प्रश्न संख्या ३

श्री सज्जनसिंह—Will the **Minister-in-charge Irrigation** be pleased to state since how long the estimate for Paibalapura tank in Tehsil Nainwa, District Bundi, is pending with Government for sanction and what is being done about it ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—The Estimate for this tank has been prepared but has not yet been approved as Revenue and Agricultural Surveys are being carried out.

प्रश्न संख्या ४

श्री सज्जनसिंह—Will the **Minister-in-charge Irrigation be pleased to state**

(*a*) How much money has, so far, been spent on investigation of Chamba Project ?

(*b*) Was the lower site of tbe Kotah-Barrage, where the investigation has been carried out for years, inspected by the Senior Geologist of the Government of India and what is his inspection report ?

(*c*) On what date was the upper site of Kotah-Barrage investigated by Mr. Mittal and how much work has so far been done on it, and

(*i*) Is there any sign of rock under the water pool ? If so, at what depth ?

(*ii*) What was the time taken for this investigation and at what cost?

(*d*) What are the likely figures of irrigation of these two sites so far as irrigation in Rajasthan is concerned ?

(*e*) What are the comparative figures of cost as regards the initial outlay and of the recurring expenses in the form of maintenance and protection of guide bunds of both the sides of the river bank and which of these sites will prove more remunerative ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—The replies to the quarries raised in the above question are adseriatim as follows :—

(*a*) About Rs. 38 lacs including cost of Investigations, Buildings, Roads, Establishment, Tools, Plants, etc. have been spent on the project.

(*b*) The lower site was inspected by Shri Datta of Geological Survey of India in the months of May and September, 1952. He was of the opinion that there were some cavities below the foundation lime-stone, but despite sinking a well upto a depth of 36 feet, no cavity could be traced.

(*c*) Exact date of inspection is not known but the first note was written by Shri Mithal in March, 1951—

Investigations about the suitability of the site and surveys for off-taking canals are in progress.

(1) Rock exists about 30 feet below water level flanks of the pool. Borings are still in progress.

(2) Investigations are in progress. It may cost about one lac.

(*d*) Canals from lower site—They will irrigate about 4½ lac acres upto Banas river. It can be increased by 1½ lac acres or more if water is pumped upto the height of 10 to 40 feet. Canals from upper site are about 6·5 lacs acres.

(*e*) No large guide bunds will be required at any of the sites. Only after completion of the investigations it will be possible to judge as to which of the two sites will be more remunerative.

श्री सज्जनसिंह—दोनों साइड का कम्पेयर करके अभी कोई निश्चय हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसकी जांच हो रही है। पहले की हो चुकी है। दूसरे की जांच का काम बाकी है। पहले से साढ़े चार लाख एकड़ के लगभग सिंचाई होगी और दूसरे से साढ़े छः लाख एकड़ की सिंचाई होगी। सर्वे का काम बाकी है जो जल्दी ही समाप्त हो जावेगा।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ३८ लाख में, कितना रोड व बिल्डिंग पर और कितना एटेब्लिशमेन्ट पर हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिये समय चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह—दोनों साइड में से कोनसा साइड पसन्द किया जावेगा, इसका कब तक निश्चय हो जावेगा ?

श्री भोगीलाल पंडया—दस वर्ष के भीतर भीतर।

प्रश्न संख्या ५

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Will the **Famine Relief Minister** be pleased to state:—

(*a*) What is the total grant which has been sought from the Central Government in connection with Famine Relief for the year 1952-53?

(*b*) How much has been sanctioned by the Central Government up-to-date?

(*c*) If not, why not ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—भारत सरकार से ३१ लाख ८० हजार रुपये की स्वीकृति के लिये प्रार्थना की गई है। भारत सरकार ने उचित आदेश के अनुसार सहायता देने की स्वीकृति दी है। यहां की स्थिति के बारे में जांच करने के लिये एक्सपर्ट्स की टीम भारत सरकार भेजने वाली है।

श्री अवनीकुमार—उचित आधार होंगे उनके हिसाब से कितनी सहायता होगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उचित आधार रखते हुए ही मांग की गई है।

श्री अवनिकुमार—इसका मतलब यह हुआ कि अब तक रकम भारत सरकार से नहीं मिली है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि इसका अन्तिम निर्णय नहीं हुआ।

श्री अवनिकुमार--अन्तिम निर्णय कब तक होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--इस आर्थिक वर्ष के अन्त तक होगा।

श्री अवनिकुमार—रुपया जब अन्य स्टेटों को मिल गया है तो राजस्थान को अब तक क्यों नहीं मिला ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—भारत सरकार के पास डिटेल्स भेजे गये हैं, उस पर जब तय होगा। उन्होंने स्वीकृति दे दी है। उसमें कहा गया है कि रुपया इस आधार पर दिया गया है। तो यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता कि रुपया क्यों नहीं मिला, मिल जायगा।

श्री अवनिकुमार—मेरा प्रश्न यह है कि अबतक राजस्थान को क्यों नहीं मिला जब कि अन्य स्टेटों को मिल गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अभी तक इस वर्ष के फाइनल एकाउन्टस् एडजस्ट नहीं हुए हैं। अब भी इस आर्थिक वर्ष के अन्त तक रुपया मिल सकता है। हर स्टेट का ऑडिट हो गया हो, यह बात नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक्सपर्ट कमेटी को यहां आने के लिये क्या बुलावा दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—दूसरे राज्यों में भी, जैसे मद्रास, बंबई आदि में एक्सपर्ट्स टीम गई है। इसलिये हम सब ने चाहा कि वह यहां आकर भी सारी स्थिति देख ले।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस प्रकार का पत्र उनको कौनसी तारीख को भेजा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह बात-चीत के दौरान में तय हुई चीज है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार द्वारा स्थिति की जानकारी ठीक नहीं हो सकी है क्या इसीलिये उनको निमन्त्रण दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह ठीक नहीं।

श्री अवनिकुमार--क्या इस विषय में सरकार द्वारा कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह आवश्यक नहीं।

श्री अवनिकुमार--क्या रुपया मिलना आवश्यक नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--निमन्त्रण देना और रुपये मिलना दोनों अलग अलग चीजें हैं।

प्रश्न संख्या ६

श्री सरदारसिंह—क्या निर्माण मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) टोंक, उनियारा, रामपुरा, सवाई माधोपुर क्षेत्रों में किस किस कस्बे तक इस वर्ष लिंक रोड बनाने की तजबीज है ?

(२) यह कितने अर्से में बनाई जा सकेगी ?

(३) क्या इसका कोई सर्वे आदि हो गया है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—इस वर्ष यह तजबीज नहीं है।

श्री सरदारसिंह—क्या इस पर अगले वर्ष विचार किया जायेगा ?

श्री भोलानाथ – अगर रुपये की सुविधा होगी तो, अवश्य।

श्री सरदारसिंह—यह पैसे की कब तक सुविधा हो जायगी ?

श्री भोलानाथ – भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना से जो रुपया मिलन वाला है उस सिलसिले में यह काम भी लिया जा सकता है।

श्री हिम्मतसिंह—यह रुपया कब तक मिल जायगा ?

श्री भोलानाथ—प्लानिंग कमीशन के द्वारा राजस्थान को यह रुपया मिलने के लिये भारत सरकार को सिफारिश की गई है इसलिये वह पैसा कब तक मिल जायगा यह कहना संभव नहीं

प्रश्न संख्या ७

श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे :

डिस्ट्रिक्ट टोंक में किस किस तहसील में टिड्डियों से नुकसान हुआ है और किस किस परसेन्टेज पर और अब सरकार उनको रेमिशन देने पर क्या विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जिला टोंक की निवाई व टोंक तहसीलों के कुछ गांवों में टिड्डियों द्वारा फसल का २५ प्रतिशत से लेकर ७५ प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। इन गांवों में छूट देने के विषय में विचार होरहा है। और अकाल व अन्य प्रकार से कृषि-हानि होने पर राजकीय सहायता व राजस्व सत्व में छूट दिये जाने के नियमों के अनुसार छूट दी जावेगी।

श्री भैरुंसिंह (दांता रामगढ़)—क्या यह लगान वसूल कर लिया गया है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—छूट देने की बात कही गई है तो वसूल कर लिया गया है।

श्री हिम्मतसिंह—छूट दी जायगी या सस्पेन्शन ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पहले सस्पेन्शन किया जाता है।

प्रश्न संख्या ८

श्री मोहब्बतसिंह--Will the **Minister for Excise** be pleased to answer:—

Is the Government aware of open liquor black market at Sarupganj in Sirohi District, which is on the border of Rajasthan near the prohibited area of Gujarat ? If so, what steps are being taken to stop it ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—ऐसी कोई शिकायत नहीं कि चोरी से शराब बेची जाती है। इस प्रकार की यदि कोई शिकायत सामने लाई जायगी तो सरकार उसका उचित इन्तजाम करेगी।

श्री मोहब्बतसिंह – क्या सरकार यह समझती है कि जब शिकायतें सामने लाई जायंगी तभी मालूम करने की कोशिश की जायगी अन्यथा नहीं ?

श्री भोलानाथ—सरकारी अफसरों के सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। यदि इस प्रकार की पब्लिक की कोई शिकायत होगी तो जरूर ध्यान दिया जायगा।

श्री मोहब्बतसिंह – क्या इसके बारे में आपके सामने कोई शिकायत नहीं पेश की गई ?

श्री भोलानाथ—नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस प्रश्न को ही शिकायत समझ कर कुछ कार्यवाही करने को तैयार है ?

श्री भोलानाथ—अवश्य, अगर यह सही शिकायत है।

प्रश्न संख्या ९

श्री मोहब्बतसिंह –Will the **Minister for Agriculture** be pleased to state :—

Is it a fact that the office of the District Agriculture Officer is proposed to be shifted to Sheoganj or Pali from Sirohi ? If so, why ? Would the Government before doing so consider the question of maintaining the importance of the capital of the former Sirohi State ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मंत्री)—हां, वित्तीय कठिनाई के कारण सिरोही और पाली जिलों को सम्मिश्रित करना तथा इन दोनों जिलों के लिये एक ही जिला कृषि अधिकारी रखना

तय किया गया है। उक्त अधिकारी के हैडक्वार्टर पाली में रखे जायेंगे क्योंकि उस स्थान से उनके लिए अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करना सरल होगा ।

श्री हरिदेव जोशी—यह इन्टिग्रेशन कब तक हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—निर्णय किया जा चुका है ; शीघ्र ही कार्यान्वित होगा।

प्रश्न संख्या १०

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(१) गये वर्ष में जयपुर डिविजन के किन किन गांवों में बिजली लगाई गई है ?

(२) इस पर अलग अलग गांवों के हिसाब से कितना रुपया खर्च हुआ ?

(३) इसमें से कितना गांव वालों ने दिया और कितना सरकार ने ?

(४) क्या चाकसू तहसील के वाटिका और जयपुर तहसील के बस्सी कस्बों की जनता के प्रार्थना-पत्र पर भी बिजली लगाने के लिये बिजली विभाग में आये हैं ?

(५) अगर आये हैं तो अबतक इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(१) गत वर्ष जयपुर डिविजन के सिरसी गांव में बिजली लगाई गई थी।

(२) इस कार्य पर लगभग ४०,०००) रुपये खर्च हुये थे ।

(३) कुल रूपया सरकार ने ही दिया था ।

(४) हां ।

(५) एस्टीमेट आदि सब तैयार कर लिये गये हैं। रुपयों की कमी के कारण कार्य नहीं किया जा सका ।

श्री नारायण चतुर्वेदी—जयपुर डिविजन में सिरसी के अलावा और कहां कहां बिजली लगाई गई १९५२-५३ में ।

श्री भोलानाथ—गत साल में एक ही जगह बिजली लगाई गई है।

श्री अवनिकुमार—सिरसी गांव में जो बिजली लगाई गई उसमें सरकार के ४० हजार रुपये खर्च हुए हैं उससे सरकार को कितनी आमदनी हुई है ?

श्री भोलानाथ—अभी फिलहाल उससे २०० रुपया मासिक की आय हो रही है। परन्तु ४०० कनेक्शन की और मांग है। यदि दे पूरे कनेक्शन दे दिये जायंगे तो लगभग ५ हजार रूपये मासिक की आय होने की संभावना है ।

श्री भैरूंसिंह—सिरसी की आवादी कितनी है ?

श्री भोलानाथ—यह प्रश्न नहीं पूछा गया था।

श्री अवनिकुमार—बिजली जो सिरसी को दी गई वह किसी योजना के आधार पर दी गई है या यों ही ?

श्री भोलानाथ—योजना के आधार पर दी गई क्योंकि उम्मीद की जाती थी कि उधर सिंचाई के पंप लगेंगे और इससे खेती बढ़ेगी।

श्री अवनिकुमार—जयपुर के आस पास भी ऐसी कई जगह हैं जहां बिजली लगाने से फायदा हो सकता है, खेतीबाड़ी के काम में मदद मिल सकती है। क्या सरकार इस पर ध्यान देगी ?

श्री भोलानाथ—जरूर ध्यान देने के लिये तैयार हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सिरसी गांव में ऐसी क्या खासियत है कि उसको बिजली दी गई ?

श्री भोलानाथ—उसे ठीक समझा गया इसलिये।

श्री रघुराजसिंह – क्या सिरसी के मुकाबले बारां के लिये आवश्यक नहीं मालूम हुआ ?

श्री भोलानाथ—बारां को तो जब कोटा पॉवर हाउस डेवलप होगा या चम्बल बांध से बिजली पैदा होगी तब गांव गांव में बिजली हो जायगी।

श्री अवनिकुमार – जयपुर के आस पास के गांवों को बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री भोलानाथ—कैपिटल के बजट की कठिनाई के कारण।

श्री भोलानाथ—यह सिरसी गांव किस कॉन्स्टिट्युएन्सी में है।

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११

श्री सज्जनसिंह—Will the **Minister-in-charge Roads and Buildings** be pleased to state whether the grant under the Five Year Plan would be exclusively spent on roads calculated to develop the State and not on Strategic Roads ?

श्री भोलानाथ (निर्माणमंत्री) — पंचवर्षीय योजना में जो रुपया सड़कों के लिये मिलेगा वह सडकों पर ही खर्च किया जायगा; लेकिन इन सड़कों में लॉ एण्ड ऑर्डर की सड़कें भी आ सकती हैं। इसमें एक सड़क जो बीकानेर से अबोहर जाती है वह अवश्य डिफेन्स रोड्स में है।

श्री सज्जनसिंह(१२३)—मेरा अभिप्राय यह है कि जैसलमेर, बीकानेर जाने वाली सडक, जैसा कि आपने अभी फरमाया है, स्ट्रेटेजिक रोड में समझी जायगी या ऑडिनेरी रोड्स में ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—क्या पोकरण से जैसलमेर जाने वाली सडक, के बारे में आप क्या फरमा रहे हैं ?

श्री सज्जनसिंह(१२३)—स्ट्रेटेजिक रोड्स और ऑडिनरी रोड्स में आप क्या डिफरेन्स (अन्तर) करते हैं ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—जो डिफेन्स डिपार्टमेंट की तरफ से निर्मित होती हैं वे स्ट्रेटेजिक रोड्स समझी जाती हैं।

श्री सज्जनसिंह (१२३)—For the sake of communications हमारे प्रान्त म स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाई जावेंगी या ऑडिनेरी रोड्स।

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—ज्यादातर गांवों और देहातों में बनाई जावेंगी। स्ट्रेटेजिक सडकें नहीं, यदि डिफेन्स रोड्स बनीं तो उसका अधिकतर रुपया भारत सरकार का होगा। कुछ हिस्सा राजस्थान को भी अपने हिस्से में से देना होगा।

एक सदस्य—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि स्ट्रेटेजिक रोड्स कितनी होंगी और गांव के काम के लिये कितनी सडकें बनाई जायगीं ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—यह इस समय ठीक ठीक बतलाना संभव नहीं है।

राजा श्री मानसिंह—Is the Hon'ble Minister prepared to put up a list of roads maintained by the Defence Department on the table of the House ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—अब पेश कर दी जायंगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मंत्रीजी ने अभी डिफेन्स रोड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव राड्स, लॉ एण्ड आर्डर रोड्स इत्यादि, का जिक्र किया। और कितने प्रकार की सड़कें उनकी अपनी योजना में हैं।

श्री भोलानाथ(निर्माण मंत्री)—खास तौर से वे सडकें जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं उन्हें पहले स्थान दिया गया है, दूसरी लॉ एन्ड आर्डर वाली हैं, तीसरी इन्डस्ट्री के हिसाब से प्रायोरिटी प्राप्त सडकें हैं, चौथी लिन्क रोड्स हैं, और पांचवीं डिफेन्स रोड्स हैं।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या कोई चुनाव रोड भी है ?

श्री अध्यक्ष—Order ! The Chunav road comes to the Assembly House.

प्रश्न संख्या १२

श्री माधोसिंह (६०)–Will the Minister for P. W. D. be pleased to state :—

(a) What was the income of the Government from the Bus Service running from Sumairpur to Jalore when there was the system of Tender ?

(b) What is the income now to the Government from the same line when the permit system has been enforced ?

(c) On the whole has income of the Government increased or decreased by the new system of permit and transport boards ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–(अ) जब टेन्डर प्रथा प्रचलित थी तब सुमेरपुर–जालोर व फालना–कावरारा दोनों मार्ग सम्मिलित रूप से ३४६०६) रू० प्रतिवर्ष पर ठेके पर दिये गये थे।

(ब) इस समय उक्त दोनों मार्गों पर निम्न परमिट दिये गये हैं :–

सुमेरपुर–जालोर	२८ परमिट
फालना–कावरारा	८ परमिट

इन मार्गों पर चलने वाली बसों से रोड टेक्स की आमदनी २८,४००) रु० प्रतिवर्ष होती है।

(स) परमिट प्रथा चालू किये जाने से सरकारी आय में ६२०६) रु० प्रतिवर्ष का घाटा हुआ है।

श्री माधोसिंह (६०)–जब परमिट प्रथा से घाटा हुआ तो यह प्रथा क्यों अपनाई गई है ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–मोटर विहीकल एक्ट और कांस्टिट्युशन (संविधान) लागू होने पर मोनोपोली (एकाधिकार) नहीं रह सकती है और यह ठेके भी एक तरह के मोनोपोली सिस्टम हो जाते हैं।

श्री संतोषसिंह–क्या एक ही आदमी को ज्यादा परमिट देने से मोनोपोली चालू नहीं हो जाती है ? सारी की सारी परमिटें एक ही आदमी को दे दी गई हैं।

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–मोनोपोली किसी को नहीं दी गई है। पुराने ऑपरेटर्स को प्रिफरेन्स दी गई है। पुराने आपरेटर्स को प्रिफरेन्स दिये जाने का प्रोविजन एक्ट में है।

श्री संतोषसिंह–क्या सरकार को मालूम है कि बहुत से एक एक मोटर वालों ने परमिट मांगे थे, उनको रिफ्यूज किया गया ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–अगर कोई शिकायत है तो वह अपील के रूप में आनी चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या एक्ट के मातहत माइनर्स को परमिट दिये जाने की गुंजाइश है ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–माइनर्स को कोई परमिट नहीं दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या यह बात सरकार को मालूम है कि एक नाबालिग को परमिट दिया गया है ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–एसी कोई सूचना मेरे पास नहीं आई।

श्री हरिकृष्ण व्यास–इस सवाल पर अखबारों में और जगह जगह पर चर्चा हुई थी, यह आरोप किया गया था। तो क्या सरकार इसके बारे में जांच करवाने के लिये तैयार है ?

श्री अध्यक्ष—This forms Part of a separate question.

प्रश्न संख्या १३

श्री सज्जनसिंह (१३२)—Is the Minister for Road and Buildings aware that the Road Dams of the Fair weather Road on Maize River at Dablana and on Bajyan River at Ranipura (Bundi District) are in a very dilapidated condition and without immediate repairs this year are likely to be breached causing dislocation of traffic; and whether in view of this, he contemplates their repairs ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–यह पुल बहुत ठीक नहीं है लेकिन खतरनाक भी नहीं है। शीघ्र ही उसको दुरुस्त करने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अवनिकुमार–इसका मतलब क्या यह है कि वह ठीक भी नहीं है और खतरनाक भी नहीं है ? What is the sence ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–खतरनाक और ठीक होने का भेद माननीय सदस्य समझते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास–ठीक नहीं होने के बाद खतरनाक होने में कितना समय लगता है ?

श्री सज्जनसिंह (१३२)–इस संबंध में रिपेयर्स का वर्क शुरू किया गया है या नहीं ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–इसकी आज्ञा दे दी गई है।

प्रश्न संख्या १४

श्री सज्जनसिंह (१३२)-Will the Minister-in charge Roads and Buildings, be pleased to state the programme for the construction of Roads, under the Five Year Plan grant ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री) -- यह पंचवर्षीय योजना स्वीकृति के लिये भारत सरकार के पास भेजी गई है। वहां से स्वीकृति प्राप्त होने पर हाउस के सामने रख दी जायगी।

श्री सन्तोषसिंह—किस किस रोड की योजना को भारत सरकार के पास भेजा है ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री – इस समय कहना संभव नहीं है।

श्री सज्जनसिंह (१३२)—इस फाइव ईयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) के अन्दर सड़कों का जो प्रोग्राम बन रहा है वह कब से प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था कि हमने बहुत कोशिश की है कि भारत सरकार फाइव इयर प्लान के मातहत जो हमारा शेयर (हिस्सा) है, उसमें से कम से कम १ करोड़ बीस लाख रूपया इस वर्ष देदे। इस १ करोड़ बीस लाख रुपये में से जितना पया मिलेगा उसके अनुसार काम शुरू कर दिया जायगा।

श्री सज्जनसिंह (१३२)—मेरे अर्ज करने का अभिप्राय यह है कि पंचवर्षीय योजना के खतम होने का समय कोई निश्चित नहीं है क्या ? यदि है, तो क्या उस निश्चित अवधि के अन्दर अन्दर यह प्रोग्राम तैयार होने पर और इसके मुताबिक कार्य कब होना शुरू हो जायगा ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–फाइव इयर प्लान में, जैसा कि जाहिर होता है, ३ साल रहे हैं। इसके लिये प्रति वर्ष १ करोड़ बीस लाख रुपया मांगा गया है। अब यह देखना है कि भारत सरकार अपने बजट के अनुसार हमको, हमारी ग्रान्ट में से कितना रुपया देती है। यदि उन्होंने रुपया इस साल के बजट में प्रोवाइड कर दिया है तो मई या जून के अन्दर अन्दर यह काम शुरू किया जा सकेगा।

श्री संतोषसिंह—फाइव इयर प्लान भारत सरकार के पास जो भेजा गया है, उसमें जो सड़कें उसमें रखी गई हैं वह वहां की जनता से पूछ पूछकर प्लान बनाया गया है या दफ्तरों में ही बैठे बैठे बना दिया गया है ? सड़कों के बारे में निर्णय किस तरह किया गया है ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–सड़कें जो तजवीज की गई हैं वे एडमिनिस्ट्रेटिव रोड्स हैं। खास तौर से कोशिश यह की गई है कि जिले हैडक्वार्टर्स को, सब-डिवीजन हैडक्वार्टर तथा तहसील हैडक्वार्टर्स से जोड़ा जाय। पिछले अधिवेशन में मैंने खुदने तमाम असेम्बली के सदस्यों से बातचीत करके उनके विचार भी जान लिये थे।

श्री संतोषसिंह-मगर जो राय मिली वह सड़कें उसमें नहीं रहीं। इसका मतलब यह हुवा कि जनता की राय की कुछ जरूरत नहीं।

श्री सज्जनसिंह (२३२)--क्या माननीय मंत्री महोदय इस योजना की एक कापी हाउस की टेबिल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)--स्वीकृत हो जाने के बाद ही रखी जा सकेगी।

श्री संतोषसिंह --जो सलाह एम. एल. एज़ ने दी है वह उसमें शामिल है या नहीं ? क्या यह मानलें कि जनता की कोई आवाज नहीं सुनी गई ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)--उस आवाज का खयाल रखकर ही ऐसी मन्जूरी दी गई है।

श्री मोहब्बतसिंह --आपने अपनी डिस्क्रिशनरी पॉवर का यूज़ किया है क्या ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)--हमारे निश्चय के बाद भी भारत सरकार का ट्रान्सपोर्ट एडवाइज़र जांच करता है।

श्री सन्तोषसिंह --जनता को कौनसी सड़कों की जरूरत हो। और एडवाइजरी बोर्ड कौनसी सडकों के लिए सलाह दे; इसमें बहुत फर्क हो सकता है।

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)--फर्स्ट प्रिफरेंन्स एडमिनिस्ट्रेटिव रोड्स को दी जायगी उससे जनता को भी सहूलियत होगी।

श्री सन्तोषसिंह--मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई आवाज नहीं सुनी जाती है।

श्री कानसिंह--मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अभी मंत्री महोदय ने कहा कि बहुत मशवरा किया गया और उस सलाह मशवरे से यह योजना बनाई गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि विरोधी दल के सदस्यों में से किन किन से सलाह मशविरा किया गया ? क्या खाली मंत्री महोदय ने अपने खास खास मित्रों से ही सलाह मशवरा किया ?

श्री भोलानाथ -- मैं समझता हूं कि विरोधी दल के सदस्यों से, जिनमें से बहुत से सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं. कोटा, बूंदी, टोंक, जालोर, बाढमेर, पोकरण इत्यादि जिन जिनके प्रतिनिधि मिल सके और जिन्होंने मिलना उचित समझा, उन सब से बात की गई थी।

श्री अर्वानकुमार--जयपुर डिविजन के किन किन सदस्यों से बात चीत हुई ?

श्री भोलानाथ--जयपुर जिले के व्यक्तियों ने इसमें खास दिलचस्पी नहीं ली; जयपुर डिविजन के लोगों ने अवश्य ली है।

श्री अवनिकुमार—जयपुर वालों ने तो दिलचस्पी दिखाई थी मगर आपने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

श्री अध्यक्ष—आॅर्डर !

प्रश्न संख्या १५

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या निर्माण मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(१) उदयपुर डिविजन में कई ठेकेदारों को लाखों रुपयों का चुकारा निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के दो-दो, चार-चार वर्ष पूर्व समाप्त हो जाने पर भी क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(२) क्या उदयपुर डिविजन में कई ठेकेदारों को या तो ठेकों के प्रारंभ में ही ठेके की रकमें या ठेके के कार्य की समाप्ति से पूर्व दे दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि कई ठेकेदारों की अधिकारियों को कृपा-पात्रता के कारण ठेके से अधिक रकमें दे दी गई ?

श्री भोलानाथ(निर्माण मंत्री)—साधारणतया तो ज्यों ज्यों कार्य होता जाता है, किए हुए कार्य का चालू भुगतान कर दिया जाता है और अमानत रकम भी कार्य के पूर्ण होने के ८-९ मास पश्चात दे दी जाती है। लेकिन कोई विशेष बात होने पर उसके फैसले होने पर ही भुगतान किया जाता है। उन खास कार्यों के नाम बताने पर जिनका कि भुगतान ठेकेदारों को नहीं हुवा है गवेषणा करके पूरा विवरण मालूम किया जा सकता है।

(२) एकीकरण से पहले पूर्व राजस्थान की कुछ रियासतों में आगामी भुगतान करने का तरीका था। तदनुसार संभवतः कुछ भुगतान किए गये हैं किन्तु ऐसा बहुत ही कम हुआ है। संभवतः माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित ठेकेदारों के मामले उन नियमों के अन्तर्गत आते हों। ठेकेदारों के नाम मालूम होने पर संबन्धित पत्रादि देख कर यदि कोई नियम-विरुद्धता पाई जाय तो आगामी कार्यवाही की जा सकती है।

(३) ठेकेदारों के तथा कार्यों के नाम मालूम होने पर ही इस बात की पूरी छानबीन की जा सकती है।

श्री सन्तोषसिंह—क्या यह सही है कि १॥ लाख की बडी रकम आज ३ साल से ठेकेदार को नहीं मिल रही है ?

श्री भोलानाथ—किस ठेकेदार को नहीं मिल रही है ? यदि आप उसका नाम बतावें तो उसका उत्तर दिया जा सकता है।

श्री संतोषसिंह उदयपुर में गवर्नमेंन्ट प्रेस के रामसिंह कछावा ठेकेदार के रुपये अभी तक बाकी हैं।

श्री भोलानाथ --कल ही लॉ डिपार्टमेन्ट के सामने वह केस पेश हुआ है और जितने क्लेम्स वाजिब समझे गये हैं उनकी अदायगी की आज्ञा हो गई है और जो झगडे तलब है उनका पेमेन्ट रोक दिया गया है।

श्री संतोषसिंह— इस ठेकेदार का क्या झगडा है ?

श्री भोलानाथ—आप ही बतावें, क्या झगडा है ?

श्री संतोषसिंह— जिन के मामले अभी तक तय नहीं हुए हैं उनके रुपयों का व्याज लगता है। क्या सरकार उसको अदा करेगी ?

श्री भोलानाथ—इस संबन्ध में वे नियमानुसार कार्यवाही करें ।

श्री मानसिंह प्रश्न १५ के (३) में यह स्पष्ट पूछा गया है कि ठेकेदारों को अधिकारियों की कृपा के कारण ठेके से अधिक रकमें दी गई, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया ।

श्री भोलानाथ—ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं है ।

श्री मानसिंह—क्या आपके उत्तर से यह समझा जावे कि किसी को अधिक रकम नहीं दी गई ?

श्री भोलानाथ - फिलहाल ऐसा समझा जाना चाहिये ।

श्री अवनिकुमार—"फिलहाल ऐसा समझा जाना चाहिये" से क्या मतलब है ?

श्री मानसिंह—अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से इस संबन्ध में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ।

श्री भोलानाथ —ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री मानसिंह—हम यह चाहते हैं कि आया कोई रकम दी गई या नहीं ? हम चाहते हैं कि जवाब "हां" या "ना" में दिया जाय ।

श्री भोलानाथ - मेरे पास कोई इत्तिला नहीं है ।

श्री मानसिंह—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मंत्री महोदय का फर्ज है कि वे तैयार होकर आएं ।

(विरोधी दल की ओर से — "हियर-हियर")

प्रश्न संख्या १७

श्री नारायण चतुर्वेदी --क्या निर्माण मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या वाटिका के नागरिकों की ओर से रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के पास वहां चलने वाली मोटर सर्विस के खिलाफ कोई शिकायत आई है ?

(२) अगर शिकायत आई है तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सच है कि शिकायत आने के बाद शिकायत मिटाने की अपेक्षा मालिक ने नाराज होकर किराया बढ़ा दिया ?

(४) क्या इस संबन्ध में अब कोई कार्यवाही की जावेगी ?

श्री भोलानाथ(निर्माण मंत्री)—हां, नियम विरुद्ध किराया वसूल करने के संबन्ध में जनता द्वारा शिकायत आई थी ।

इस संबन्ध में उचित जांच करवाई थी । जांच के पश्चात् मालूम हुआ कि वाटिका जयपुर से १८ मील है न कि १७ मील और इसलिये उसको १४ आने ६ पाई के हिसाब से चार्ज करने का हुक्म दिया गया ।

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या किराया बढ़ाने के अलावा कोई दूसरी शिकायत नहीं थी ?

श्री भोलानाथ—आप बतावें कि दूसरी क्या शिकायत थी ?

श्री नारायण चतुर्वेदी—मुसाफिरों से सामान के लिये अतिरिक्त किराया वसूल करने के बारे में क्या कोई शिकायत नहीं थी ? आपके पास अर्जी आई होगी ?

श्री भोलानाथ—हां, इसकी भी जांच की गई और इसको ठीक पाया गया । जांच के बाद मोटर मालिकों ने मुसाफिरों से सामान का अतिरिक्त किराया वसूल करना बन्द कर दिया है ।

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या मुसाफिरों से अतिरिक्त किराया वसूल किया गया, वह मोटर मालिकों से वापिस दिलाया जायगा ?

श्री भोलानाथ - जिन जिन लोगों से वसूल किया गया है वे नियमानुसार उसके लिये अपनी कार्यवाही करें ।

श्री नारायण चतुर्वेदी आपके इन्सपेक्टर ने इस संबन्ध में जांच की होगी ?

श्री भोलानाथ—इस संबन्ध में इन्सपेक्टर ने जांच की थी ।

श्री नारायण चतुर्वेदी इस सिलसिले में यह कहा गया था कि यह बात गलत है, क्या इस बात की आपको सूचना है ?

श्री भोलानाथ - इस बात की कोई सूचना मुझे नहीं है ।

श्री रामदयाल—ओन ए पाइन्ट आफ आॅर्डर, सर, मेरे १६ नम्बर के प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिला और न उसकी मुझे कोई सूचना मिली ।

Page No.23

श्री अध्यक्ष—That will come on a subsequent date. It was addressed to the Education Minister and date for its reply will come afterwards.

प्रश्न संख्या १८

श्री अवनिकुमार—Will the **Minister for Local Self-Government** be pleased to state :—

What are the reasons behind the resignation of the Chairman and Members of the Shahpura Municipality en-block ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—शाहपुरा म्युनिसिपैलिटी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसको अध्यक्ष एवं सदस्य नहीं सम्हाल सके थे; इस कारण उन्होंने स्तीफे दिये।

श्री अवनिकुमार—म्युनिसिपैलिटी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसी वजह से स्तीफे दिये या और वजह से ?

श्री रामकरण जोशी—जब उन्होंने म्युनिसिपैलिटी की आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी तो सरकार ने उन्हें ५०००) रुपया लोन दिया। आर्थिक स्थिति को ठीक रखना लोकल सेल्फ बॉडी जैसी संस्थाओं के लिये आवश्यक है। लोन दिये जाने पर भी वह अपने इस अधिकार में नाकामयाब रहे और इसी कारण से उन्होंने इस्तीफे दिये।

श्री अवनिकुमार—क्या यह कारण नहीं है कि आर्थिक स्थिति खराब होने से उन्होंने सबसिडी की मांग की और वह नहीं मिलने के कारण उन्होंने इस्तीफे दिये ?

श्री रामकरण जोशी—उन्हें सबसिडी मिल गई थी। फिर भी वे आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सके। इस कारण उन्होंने इस्तीफे दिये। कोई भी म्युनिसिपैलिटी सबसिडी के आधार पर नहीं टिकी रह सकती। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये था पर वे ऐसा न कर सके और यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफे दिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये क्या उन्होंने सरकार के पास कोई सुझाव रखे थे ?

श्री रामकरण जोशी—उन्होंने सरकार के पास कोई सुझाव नहीं रखे बल्कि सरकार ने उनके पास सुझाव भेजे थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार से उन्होंने आर्थिक सहायता मांगी थी या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—मैं यह समझता हूं कि हरेक आदमी और हरेक संस्था सरकार से सहायता की अपेक्षा करती है, सरकार ने उनको मदद दी है।

श्री तनसिंह —क्या यह वही शाहपुरा है जहां पिछले समय में हड़ताल हुई थी ?

श्री रामकरण जोशी: —हां, वही ।

(हंसी)

प्रश्न संख्या १६

श्री गुरुदयालसिंह संधु —क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(क) चक ३७ बी. बी. में मुरब्बा नं० ३६ किसको अलाट हुआ है ?

(ख) जिसे अलाट हुआ है वह क्या काम करता है ?

(ग) क्या वह पढ़ता है ? यदि हां, तो किस कक्षा में पढ़ता है ?

(घ) उसकी दरख्वास्त पर एडवाइजरी कमेटी की क्या रिपोर्ट है ?

(ङ) उसका बाप चक ३८ बी. में कितने मुरब्बा काश्त करता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—प्रश्न नं० १९ में जो जानकारियां पूछी गई हैं काफी विस्तृत हैं ; अभी उपलब्ध नहीं हुई हैं। इसके लिये मैं अभी और समय चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—उत्तर टेबिल पर रख दिया जायगा ।

श्री गुरुदयालसिंह—मैंने जितने भी क्वेश्चन्स गंगानगर के बारे में रखे हैं उनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं मिला है ।

(विपक्ष की ओर से "शेम-शेम" की ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—आज पहला ही दिन है, जवाब मिल जायगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, on a point of order. According to the Rules, if a Minister wants to place a particular question for answer on a later date, then he can do so by seeking permission of the Hon'ble Speaker. I want to know why in this particular case, advance permission was not sought and why this question was left over for answer at a later date?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय अध्यक्ष, हम यह आशा करते थे कि समय पर उत्तर आ जायगा, पर आया नहीं इसलिये आगे के लिये रखा गया है ।

श्री अवनिकुमार:—But why did you not seek permission.

श्री अध्यक्ष :–If the question is of a short notice, I think it is implied that, if they are not able to lay down the answer on a particular appointed day, they can do so at a subsequent date and the member who has asked the question can be supplied a copy of that answer.

प्रश्न संख्या २०

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे :–

(क) मन्डी पदमपुर में आहाता नं० ४७ ए. खरीदने के लिये कितनी दरख्वास्तें दी गई ?

(ख) जिसको वह अहाता अलाट किया गया है उसकी उमर क्या है, उसके पिता क्या काम करते हैं और उसकी किस जरूरत का ध्यान रखते हुए यह अहाता दिया गया है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)–

(ख) जगदीशलाल, उमर १३ साल उसके पिता पटवारी हैं। अहाता पास होने के कारण उसे दिया गया है ।

श्री गुरुदयालसिंह –क्या दूसरे लोग, जिनकी दरख्वास्तें थीं उनको मौके पर बुला कर तकसीम किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया–जो बातें पूछी गई उनका जवाब दे दिया गया है ।

श्री गुरुदयालसिंह– उसमें साफ है कि कितनी दरख्वास्तें दी गई हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया–तीन ।

प्रश्न संख्या २१

गुरुदयालसिंह सन्धु —क्या कृषि मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे :–

(१) मिस्टर ताराचन्द काला पिछले दिनों अमेरिका किस ट्रेनिंग के लिये भेजे गये थे और उन पर क्या खर्च हुआ है ?

(२) जो ट्रेनिंग वह लेकर आये हैं क्या उसी काम पर उनको लगाया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—श्री ताराचन्द काला कृषि-विकास कार्य के शिक्षण के लिय अमेरिका व जापान भेजे गये थे, जिसका संपूर्ण व्यय फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा दिया

गया। केवल शिक्षण-काल के वेतन के अलावा जयपुर से दिल्ली तक आने जाने का खर्चा राजस्थान सरकार को देना पड़ा। उनको शिक्षण से वापस आने पर कृषि विकास के कार्य पर ज्वाइन्ट डाईरेक्टर के कार्य पर लगा दिया गया।

श्री गुरुदयालसिंह–जिस ट्रेनिंग के लिये भेजा गया उसके लिये नहीं लगाया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–उसी पर लगाया गया है।

प्रश्न संख्या २२

श्री गुरुदयाल सन्धु—क्या कृषि मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे –

(१) इस वर्ष तहसील पदमपुर जिला गंगानगर में चने का बीज कितना तकसीम हुआ और कौनसी तारीख को तकसीम होना शुरू हुआ ?

(२) सूरतगढ़ में किस भाव पर दिया गया तथा पदमपुर में किस भाव पर ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–कुल गंगानगर जिले में ४०,००० मन चने के बीज़ के वितरण का प्रबन्ध कलेक्टर द्वारा १३ रु० ५ आ० ४ पा० फी मन यानी एक रुपये का तीन सेर के हिसाब से दिया गया। यह भाव कुल राजस्थान के लिये निर्धारित किया गया है। गंगानगर जिले में केवल नोहर, सूरतगढ़, भादरा और हनुमानगढ़ की तहसील में ही वितरण निश्चित किया गया क्यों कि बाकी तहसीलों में बीज बोया जा चुका था और वहां बीज की मांग भी नहीं थी। तहसीलवार बीज वितरण के आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

श्री गुरुदयालसिंह–क्या यह सच है कि चना सूरतगढ़ में १२) रुपया फी मन के हिसाब से तकसीम किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–अगर किसी ने गल्ती की होगी तो उसका सुधार किया जायगा।

श्री गुरुदयालसिंह–क्वेश्चन साफ है कि पदमपुर और सूरतगढ़ में चना किस भाव पर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष–He wants to have information about two particular places *viz.* Suratgarh and Padampur.

श्री मोहनलाल सुखाडिया– My answer includes both these places.

श्री गुरुदयालसिंह–किस तारीख को तकसीम करना शुरू किया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–इसकी निश्चित तारीखों की सूचना नहीं दे सकता ; अलग अलग तहसीलों में अलग अलग तारीखों पर दिया गया ।

श्री गुरुदयालसिंह– इस हाउस के अन्दर पिछले सेशन में मैंने पूछा था कि पदमपुर तहसील में चने का वितरण हुआ कि नहीं ? उसके जवाब में उस दिन माननीय मंत्रीजी ने बताया था कि वहां तकसीम हो रहा है। क्या यह सच है कि वहां तकसीम नहीं हो रहा था ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या–उस समय चने का बीज सब जगह वितरण हो रहा था ।

एक सदस्य–क्या ३६५ दिन ही ?

श्री भोगीलाल पाण्ड्या–मैंने साफ कहा है कि उन दिनों तकसीम हो रहा था । यदि किसी तहसील में तहसीलदार की गलती से समय पर नहीं पहुंचा या ठीक भाव पर नहीं दिया गया है तो कुसूरवार के खिलाफ एक्शन लिया जायगा ।

श्री गुरुदयालसिंह–उस समय आपने कहा था कि पदमपुर तहसील में तकसीम हो रहा है, इसलिये मैंने पूछा है कि उस तारीख को पदमपुर मे तकसीम हुआ कि नहीं ?

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)–क्या यह सच है कि जिस समय चनों के फूल आने लगे थे उस समय जयपुर में चनों के बीज का वितरण किया जा रहा था ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या–जी नहीं । माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि जयपुर में बीज नहीं मांगे गये थे और जहां पर मांगे गये थे वहां पर उनका वितरण फूल आने के बहुत पहले किया जा चुका था ।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)–अध्यक्ष महोदय, इस पर सप्लीमेन्ट्री (पूरक) प्रश्न करना चाहता हूं । क्या यह सच है कि जयपुर में सप्लाई ऑफीसर के दफ्तर में बीज कई दिनों तक पड़े रहे । मैं खुद काश्तकार हूं । मैं जब उनसे मिलने गया था तब उन्होंने मुझे कहा था कि बीज ले जावो जब कि उस समय चने के फूल आने लगे थे ।

श्री भोगीलाल पण्ड्या–मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस तरह की गलतफहमी यहां नहीं फैलावें । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां जहां बीज की आवश्यकता पडी वहां वहां ठीक समय पर बीज का वितरण किया गया । मुझे आश्चर्य हुआ जब कि चनों के फूल आने लगे थे उस समय माननीय सदस्य बीज मांगने कैसे गये ?

श्री मानसिंह–मैं तो सप्लाई ऑफसर से मिलने गया था, न कि बीज मांगने ।

श्री भोगीलाल पण्ड्या–मुमकिन है जितने बीज की आवश्यकता थी उससे अधिक बीज पड़े होंगे और आप जब मिलने गये तब उक्त अफसर ने कहा हो कि बीज चाहिये तो ले जावें।

श्री हरिकृष्ण व्यास–प्रश्न के हिस्से दो का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। क्या उसका उत्तर देने की कृपा करेंगे?

श्री भोगीलाल पण्ड्या–आपको बतलाया गया है कि सभी जगह १३ रु० ५ आ० ४ पा० मन का भाव था।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–जहां पर इसकी पैदावार होती है वहां परभी वही भाव क्यों रखा गया जबकि दूसरी जगह पर, जहां पर कि बाहर से आकर बिकता है वही रखा गया है?

श्री भोगीलाल पण्ड्या जब कि सारे राजस्थान में १३ रु० ५ आ० ४ पा० का भाव रखा गया है तो जहां पैदावार होती है वहां अलग भाव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न संख्या २३

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:–

(क) गंगानगर जिले में आराजी काश्त के लिये नहरी भूमि किस महीने में तकसीम हुई?

(ख) उस भूमि में कितनी फसलें बोई जा सकती हैं?

(ग) उनकी ज्यादा से ज्यादा बोली क्या थी?

(घ) जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या तावान लगेगा?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री) — (क) जून मास में।

(ख) खरीफ व रवी।

(ग) ६० रुपया प्रति बीघा।

(घ) ज्यादा से ज्यादा तावान मूल्य से आठ गुना लगा सकते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या जो जमीन तकसीम की गई है उसमें खरीफ की फसल बोई जा सकती है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया मैं समझता हूं बोई जा सकती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—(घ) द्वारा मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब क्या है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री गुरुदयाल सन्धु—नहीं, इसका जवाब नहीं दिया गया है। जिन लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है उनसे ज्यादा से ज्यादा क्या लिया जायगा; लेकिन इसके साथ एक प्रश्न और था कि जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करेंगे उनसे क्या लिया जायगा?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—६० रुपया प्रति बीघा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जिनको जमीन दी जाती है उनसे ६०) रु० बीघा लिया जाता है लेकिन जो नाजायज कब्जा कर लेते हैं उनसे ४००) रु० लेते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—नाजायज कब्जा करने वालों के लिये जमीन मिलने का सवाल ही नहीं है।

प्रश्न संख्या २४

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे—

(१) मु.नं०५३, ७५, १७६, ५२ सा: नूरसर कौरां बरानी तहसील पदमपुर, और मुरब्बा नं० ४१ चक १ बी.बी.ए., मुरब्बा नं० ५७ व ११ वाके २ बी.बी.ए., किनको आराजी काश्त पर दिये गये हैं।

(२) जिन लोगों को एलॉट हुए हैं वे अपने कुटुम्ब के कितने आदमी हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका उत्तर मैं बाद मे पेश करूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २५

श्री तेजमल बापना—क्या नागरिक रसद मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान में सरकारी दुकानों से कितना नाज माहवारी गत ६ माह में बिकता है?

(ब) कितना नाज सरकार के पास स्टॉक में है और वह कब से पड़ा हुआ है?

(स) क्या हर माह इस स्टाक में से सैकडों मन गलने-सुलने से कम हो रहा है क्यों कि गोदाम सब खराब है?

(ब) क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि इस कंट्रोल से जन साधारण का नैतिक पतन हो रहा है और जनता बुरी तरह लूटी जा रही है ?

(य) नाज का कंट्रोल समाप्त करने में क्या कठिनाई है जब कि कई रियासतों ने इसे समाप्त कर दिया है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या (नागरिक रसद मंत्री) -(अ) गत ६ माह में यानी जुलाई सन् ५२ से दिसम्बर सन् ५२ तक सरकार द्वारा वितरण किये गये गल्ले के आंकड़े निम्नांकित हैं :—

चावल	४३ टन
गेहूं	२९६६१ टन
दूसरा अनाज	२३७५९ टन
योग	५३४६३ टन

(ब) दिनांक १-१-५३ को सरकार के पास निम्नांकित अनाज मौजूद था :—

चावल	३६ टन
गेहूं	२२,५०० टन
अन्य अनाज	२६,००० टन
योग	४८५३६ टन

यह बतलाना कि कौनसा अनाज कब आया, कठिन है क्योंकि हर गोदाम में अनाज समय समय पर आता जाता रहता है परन्तु यह निश्चित है कि अधिकतर अनाज १९५२ के वर्ष में आया हुआ है।

(स) अनाज कहीं भी रखा जाय, बिंधता अवश्य है। अधिकतर सरकारी गोदाम वैज्ञानिक ढंग से बनाये गये हैं और अनाज को बिंधने से बचाने के लिये प्रत्येक उपाय का प्रयोग किया जाता है।

(द) कन्ट्रोल जन-साधारण को समयानुकूल उपलब्ध वस्तुओं को उचित रूप से वितरण करने में सहायता की दृष्टि से अपनाया गया है, न कि जनता के नैतिक पतन के लिये।

(य) राजस्थान अभी तक खाद्यान्न में पूर्ण स्वावलम्बी नहीं है इसलिये इसकी अनाज की पैदावार का उचित वितरण करने के हेतु किसी न किसी रूप में नियंत्रण रखना आवश्यक है। फिर भी नियंत्रण में काफी ढिलाई कर दी गई है और ज्यों ज्यों परिस्थिति अनुकूल होगी इसमें और अधिक प्रगति की जायगी। जहां तक सरकार को मालूम है भारत के किसी राज्य ने अनाज का नियन्त्रण पूर्णतया समाप्त नहीं किया है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पास राजस्थान में अनाज का प्रोडक्शन कितना है; इसके आंकड़े हैं या नहीं? अभी आपने कहा कि अनाज प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान स्वावलम्बी नहीं है तो क्या इसके आपके पास आंकड़े हैं ?

अध्यक्ष महोदय—इस संबन्ध में पृथक प्रश्न पूछा जा सकता है।

प्रश्न संख्या २६

श्री तेजमल बापना—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे –

(क) भीलवाडा नगर में जल योजना में कितना रुपया लगा है ?

(ख) जल समस्या गत वर्ष ग्रीष्मऋतु में बडी कष्टदायक ही रही तो क्या जल समस्या को हल करने की कोई स्थाई योजना सरकार बना रही है ?

(ग) वह किस प्रकार होगी और क्या आगामी ग्रीष्मऋतु तक संतोषप्रद योजना कार्यान्वित होने की संभावना है ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—संक्षिप्त जल वितरण योजना के अंतर्गत भीलवाडा शहर के लिए एक लाख रुपये की रकम स्वीकृत की गई थी। अभी तक करीब ७०,००० रु० इस कार्य पर व्यय हो चुका है। इससे जितना संतोष मिलना चाहिये उतना मिल जायगा ।

प्रश्न संख्या २७

श्री तेजमल बापना—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे :–

(अ) भीलवाड़ा पावर हाउस में इस समय कितने ऐंजिन लगे हुए हैं ?

(ब) मासिक खर्चा कितना लगता है और उसके मुकाबले में कितनी आमदनी होती है ?

(स) क्या भीलवाडा नगर के घरों में व मशीनों के लिये अब बिजली की मांग नहीं है ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—(अ) भीलवाडा में इस समय तीन ऐंजिन लगे हुए हैं ।

(ब) औसतन मासिक खर्चा लगभग २३६०) रु० और औसतन मासिक आमदनी लगभग ११२४) रु० है ।

(स) पैसे की कमी के कारण भीलवाडा में कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ।

श्री संतोषसिंह—ये ऐंजिन कितने किलोवाट के हैं ?

श्री भोलानाथः—एक ३५ किलोवाट का, दूसरा १५ किलोवाट का और तीसरा १० किलोवाट का है ।

श्री तेजमल बापना—क्या एजिन बेकार पडे हुए हैं और इससे सरकार को नुकसान हो रहा है ?

श्री भोलानाथ— हां ।

श्री अवनिकुमार—मिनिस्टर साहब के जवाब से यह मालूम हुआ कि यह बिजलीघर घाटे में चल रहा है। इस घाटे को पूरा करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री भोलानाथ—सरकार इस साल के केपिटल बजट में कुछ प्रोविजन कर रही है ताकि इस घाटे को पूरा कर सके।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने खर्चा २३६०) रु० और आमदनी ११२४) रु० बतलाई है और साथ ही यह बतलाया है कि कनेक्शनों की मांग है और दिये नहीं जा रहे हैं, इसका क्या कारण है?

श्री भोलानाथ—लाइन और पोल्स के लिये बजट में गुंजायश नहीं है।

श्री संतोषसिंह—आपने बतलाया कि भीलवाडा में ३५, १५ और १० किलोवाट के एंजिन हैं क्या ये वहां के लिये काफी हैं ?

श्री भोलानाथ—फिलहाल की मांग के लिये काफी हैं

श्री संतोषसिंह—इन तीन एंजिनों में ज्यादा खर्चा होता है, इसलिये क्यों नहीं इनके बजाय एक ही १०० किलोवाट का एंजिन लगाया जाता ?

श्री भोलानाथ—एक एंजिन रखने से हमेशा खतरा रहता है इसलिये ऐसा किया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माहवारी घाटा सरकार को मंजूर है; एक साथ पैसा लगाने से यह घाटा दूर हो जाता है तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता ?

श्री मोतीलाल—क्या राजस्थान के सभी बिजलीघर घाटे में चल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या २८

श्री तेजमल बारना—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे—

(अ) भीलवाडा से शाहपुरा तक कितने माइल की सडक बन रही है ?

(ब) यह कितने सालों से बन रही है व कितने साल और इसके पूर्ण होने में लगने की संभावना है

(स) क्या इस सडक की हालत ऐसी है कि आगे बनती जाती है और नई बनी हुई टूटती जाती है

(द) क्या यह सही है कि सरकार का ६ लाख रुपया इस छोटी सी सडक पर लगा है; फिर भी सडक की हालत बडी खराब है और मुसाफिरों को, विशेषकर वर्षा ऋतु में, भारी कठिनाई उठानी पडती है?

(य) क्या आगामी वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने से पहले यह सड़क संपूर्णबन जायगी ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—(अ) भीलवाड़ा से शाहपुरा तक कोई सडक नहीं बन रही है। अलबत्ता मांडल से शाहपुरा बन रही है और जिसकी लम्बाई २४ मील है।

(ब) इस सड़क के निर्माण की मंजूरी सन् १९४९ में हुई थी और जो इस साल पूरी होने वाली थी। इसकी मंजूरी भूतपूर्व राजस्थान सरकार के समय में हुई थी। इसके डिजाइन में कुछ गड़बड़ी रह गई थी अतः अब इसको ठीक किया गया है।

(स) प्रश्न ही नहीं उठता।

(द) इस सड़क के निर्माण में कुल ५ लाख ८२ हजार १६७ रुपया का एस्टीमेट बना है।

(य) यह आशा की जाती है कि आयन्दा वर्षा ऋतु से पहले इस सड़क का कार्य पूर्ण हो जायगा?

श्री संतोषसिंह—गड़बडी रहने का कारण क्या है और इसका जिम्मेदार कौन हो सकता ?

श्री भोलानाथ—इसका जिम्मेदार तो इन्जीनियर ही हो सकता है।

श्री सन्तोषसिंह—क्या इस प्रकार की गड़बड़ी आगे भी रहने दी जायगी ?

श्री भोलानाथ—अब इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं रहने दी जायगी।

श्री तेजमल बापना—मैंने पूछा था कि यह सड़क कितने साल से बन रही है और आगे कितने साल तक बनती रहेगी; इस विषय में मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है।

श्री भोलानाथ—मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि इस सड़क की मंजूरी सन् १९४९ में हुई थी और इस वर्ष पूरी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६

श्री तेजमल बापना—क्या पृथक राजस्व विभाग के मंत्री महोदय निम्न लिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में तेल के कितने कारखाने हैं और उनमें कितना तेल निकलता है ?

(ख) क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि राजस्थान में व बाहर मूंगफली की कीमत बराबर १८) रु. फी मन है ?

(ग) यदि हां, तो फिर तेल की कीमत यहां ६७) रु. क्यों है जब कि बाहर सिर्फ ५५) रु. है ?

(घ) जब बाहर राजस्थान के ५५) रु. फी मन तेल मिल जाता है तो फिर १०) रु. कस्टम ड्यूटी आमद पर लगा कर उपभोक्ताओं पर ६७) रु. मन का वजन डालने का क्या रहस्य है ?

(ङ) क्या सरकार इस तेल की आमद पर कस्टम ड्यूटी घटाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और कितना? यदि नहीं तो क्यों?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)--(क) राजस्थान में तेल के ४३ कारखाने हैं उन में से २३ कारखाने चल रहे हैं और २० बन्द पड़े हैं। १६ ग्रॉइल मिल्स द्वारा सन् १९५१ में कितना प्रोडेक्शन किया इसके आंकडे में सूचनार्थ दे सकता हूं।

(ख) हां--

(ग) तथा (घ) बाहर ५५) रु. मन तेल का भाव है और यहां १०) रु. कस्टम ड्यूटी के लग जाने पर ६५) रु. मन का भाव हो जाता है। मूंगफली बाहर से आती है तो उस पर पन्द्रह आने और टैक्स लग जाता है।

(ङ) सरकार इस समय ड्यूटी में कोई कमी नहीं करने का विचार रखती है।

श्री संतोषसिंह--क्या सरकार को मालूम है कि मूंगफली की इजाजत देने से लोगों को दूसरी दूसरी चीजों में मिलावट करने का मौका मिलता है।

श्री भोलानाथ--इसीलिए तो हैवी ड्यूटी लगाई गई है।

श्री संतोषसिंह--जोधपुर में अभी मूंगफली का तेल बनानेका एक कारखाना खुला है। क्या सरकार द्वारा उसको इजाजत दी गई है?

श्री भोलानाथ--मुझे मालूम नहीं।

श्री मानसिंह--भरतपुर में कितने कारखाने बन्द हैं, क्या सरकार को मालूम है?

श्री भोलानाथ--यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री तेजमल बापना--बाहर और यहां जब मूंगफली का भाव १८) रु. फी मन है तो फिर तेल के भावों में बाहर और यहां पर अन्तर क्यों? अर्थात् जब कि तेल बाहर ५५) रु. प्रति मन म मिलता है तो यहां ६७) रु० प्रति मन में तेल क्यों मिले या तो यहां तेल ५५) रु. मन में मिलना चाहिये या ५७) रु. में ही मिलना चाहिये।

श्री भोलानाथ--सरकार ने १०) रु. ड्यूटी लगा रखी है; इसी लिए यहां तेल ६७) रु. में मिलता है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--ड्यूटी लगाने की पृष्ठभूमि क्या है?

श्री भोलानाथ-ड्यूटी दो तरह की है। एक किसी वस्तु की आमद व बरामदगी की रोक के लए दूसरी साधारण के लिये। जैसे मूंगफली का तेल है इसके वेजीटेबिल घी में मिल जाने की बहुत

संभावना रहती है, अतः इस पर काफी ड्यूटी लगाई हुई है ताकि इसकी आमद पर एक प्रकार की रोक रहे।

श्री रामदयाल उपाध्याय--क्या मिक्स करने वाले ड्यूटी देकर नहीं ला सकते हैं ?

श्री तेजमल बापना--जो मूंगफली के तेल के कारखाने चालू हैं उनको बन्द करने की सरकार की कोई स्कीम है ?

श्री भोलानाथ--कोई तजवीज नहीं है।

श्री मोतीराम---मूंगफली जो बाहर जाती है उस पर ड्यूटी ली जाती है, इससे कारखानेदारों को ही फायदा है, आम जनता को तो कोई फायदा नहीं मिलता है।

श्री भोलानाथ--स्थानीय उद्योगों को पनपाने की दृष्टि से ही इन कारखानों को कुछ रियायतें दी गई हैं। इसकी ओर बराबर ध्यान रखा गया है और जनता के हित की दृष्टि से भी यह जरूरी है कि यहां के कारखाने चालू रहें।

श्री मोतीराम--इसमें यह देखा जाय कि भूमि पर काम करने वालों को फायदा है, कारखानेदारों को फायदा है या कर्मचारी जो बोर्डर पर लगा दिये गये हैं उनको फायदा है। कर्मचारी जो बोर्डर पर लगा दिये गये हैं वे दो तीन रुपये लेकर अनाज इधर से उधर जाने देते हैं और इस से कई करोड़पति बन गये हैं। लाखों मन सरसों तेल वगैरह बिना कस्टम दिये बाहर चले जाते हैं। इस के सिवाय और कोई नतीजा नहीं निकलता है।

(विपक्ष की ओर से करतलध्वनि)

श्री तेजमल बापना--अध्यक्ष महोदय.... When it is available @ Rs. 55/-per maund outside, why it is sold @ Rs. 67/-per maund in Rajasthan, that is the question ?

श्री अध्यक्ष--ऑर्डर !

श्री इन्द्रनाथ मोदी का त्याग-पत्र

श्री अध्यक्ष – मुझे सदन को यह सूचित करना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद २३८ के साथ पढ़े जाने पर, अनुच्छेद १९० के अन्तर्गत, श्री इन्द्रनाथ मोदी, जोधपुर नगर 'ए' विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित राजस्थान विधान सभा के सदस्य, ने मेरे पास विधान सभा से अपने स्थान का त्याग पत्र भेजा है।

(विराम)

Page No.36

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री माधवप्रसाद एन. पंडित ने दिनांक ९ फरवरी से दिनांक १५ फरवरी, १९५३, तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(आज्ञा प्रदान हुई)

सचिव द्वारा सदन की मेज पर रखे जाने वाले विधेयकों का विवरण

श्री मनसाराम (सचिव, विधान सभा)—मैं सदन की मेज पर उन विधेयकों को बतलाने वाला विवरण प्रस्तुत करता हूं जो कि द्वितीय सत्र, १९५२, में विधान-सभा द्वारा पारित हुए तथा जिन पर या तो राष्ट्रपति को या श्रीमन् राजप्रमुख की अनुमति प्रदान हुई।

राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दत्त विधेयक

(१) जयपुर विधि (मान्यता) विधेयक, १९५२
(२) मारवाड शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५२
(३) विध व्यवसायी राजस्थान (संशोधन) विधेयक, १९५२
(४) राजस्थान विधि (सिरोही पर लागू करने वाला) विधेयक, १९५२

श्रीमन् राजप्रमुख द्वारा अनुमति दत्त विधेयक

(१) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्डज अधिनियम (संशोधन) विधेयक, १९५२
(२) राजस्थान नगरपालिका (अवधि-विस्तार) विधेयक, १९५२
(३) राजस्थान न्यायालय शुल्क (अन्तर्ग्रहण) अध्यादेश संशोधन विधेयक, १९५२
(४) राजस्थान राजकीय भाषा विधेयक, १९५२
(५) राजस्थान उत्पाद-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२
(६) राजस्थान विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५२
(७) राजस्थान चल-चित्र (विनियम) विधेयक, १९५२

किशनगढ़ मिल मजदूरों के सम्बन्ध में श्री हरिकृष्ण व्यास द्वारा प्रस्तुत स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मुझे श्री हरिकृष्ण व्यास द्वारा हाउस की कार्यवाही स्थगित करने के लिये और निम्नलिखित प्रस्ताव के ऊपर बहस करने का एक नोटिस मिला है।

"That this House be now adjourned to discuss the situation arising out of the continued 83rd day of the lock-out of the Maharaja Kishengarh Mills, Kishengarh."

इस सम्बन्ध में पिछले सदन की बैठक में भी काफी प्रश्न हुए थे। अब क्या स्थिति है मैं पूरी तरह से जानकारी नहीं रखता इसलिये मैं गवर्नमेन्ट के सदस्यों से आशा करूंगा कि उनको इस प्रस्ताव के विषय में जो कहना है, वह कहें। इसके बाद मैं अपना निर्णय इस प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के बारे में दूंगा।

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ समय से महाराजा किशनगढ़ मिल्स किशनगढ़, बन्द है और जब इसके मालिक ने उस पर तालाबन्दी डिक्लेयर किया था तो गवर्नमेन्ट की तरफ से इस तालाबन्दी को खतम करके मिल को खोलने के लिये मिल मालिक से कहा गया था। पर उनकी ओर से सरकार के इस आदेश के विरुद्ध एक रिट हाईकोर्ट में पेश हुई है। इस मुकदमें में आज की तारीख हाईकोर्ट में है और इसमें आज बहस होगी ; ऐसा अनुमान किया जाता है।

यह मामला चूंकि सब-ज्युडीस है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर आज डिस्कशन न किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आशा है मुझे इजाजत देंगे।

श्री अध्यक्ष—About the admissibility of this ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने अपने मोशन में जो प्रश्न उठाया है उसका ताल्लुक है इस तालाबन्दी के ८३ दिन होने से पैदा हो जाने वाली परिस्थिति से। सरकार ने एक कदम उठाया उसका ताल्लुक हाईकोर्ट से है। पर इस परिस्थिति के पैदा होने से इसका कोई संबन्ध नहीं है। सरकार ने तालाबन्दी को समाप्त करके मिल चालू करने का आदेश दिया और उस पर रिट पेश हुआ; लेकिन यह जो तालाबन्दी के बाद परिस्थिति पैदा हो गई उसके बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था या नहीं उठाया जा सकता है। इसलिये पूरा का पूरा मामला सब-ज्यूडीस नहीं है। सरकार के द्वारा हुक्म दिया गया और उस पर रिट हो गई, सिर्फ इतना हिस्सा सब-ज्यूडिस है, पूरे के पूरे मामले को सब-ज्यूडीस कह कर आज की परिस्थिति की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता और मेरा निवेदन है कि अपना फैसला देते समय इस बात को नजरअन्दाज नहीं करेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास—जैसा मैंने निवेदन किया सरकार ने तालाबन्दी समाप्त करने का आदेश दिया उसको उन्होंने चेलेन्ज किया ; यह तालाबन्दी समाप्त की जा सकती है या नहीं यह

विषय करीब करीब इस प्रस्ताव का है। इसलिये जो मामला अदालत में आज है उस पर इस सदन में आज विचार करना मेरी राय में उचित नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—My point was that it was open to the Government to take proceedings for taking over the Mills, as there could not be the whole proceedings sub-judice. A particular order issued under a particular Act is sub-judice. But for purposes of meeting the situation arising out of the continued dead-lock, there were other ways open to the Government, and therefore my suggestion is that the whole matter is not sub-judice and so action is possible by Government on the other sides of the problem. That is what I want to submit.

श्री रामकिशोर व्यास—जो पहले में कह चुका हूं उससे विशेष कहने की मेरे सामने कोई बात नहीं। जो कुछ गवर्नमेन्ट कर सकती थी उसने किया। पर इस पर मिल मालिक ने हाईकोर्ट में चेलेन्ज किया। अब यह विषय हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इससे ज्यादा क्या निवेदन कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्रम-मंत्री।

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)—मैं समझता हूं अभी तक जो कुछ कहा गया वह सब मेरी जानकारी के बारे में है और वैसा ही कहा गया है। सरकार ने तालाबन्दी खुलवाने का प्रयत्न किया पर उसे चेलेन्ज किया गया।

जहां तक मजदूरों का सवाल है, मिल का सवाल है और मिल मैनेजमेन्ट तथा सरकार के ताल्लुक का सवाल है वह मिल का चालू करने के सम्बन्ध का है। सब के सामने एक ही प्रश्न है कोई दूसरा नहीं है। जब मिल को चालू करने के सिवाय हम किसी अन्य बात पर विचार नहीं कर सकते हैं तो हाईकोर्ट में मामला चालू रहनेतक बात करना और बहस करना मैं समझता हूं कि अनुचित है।

पर इसके अलावा माननीय सदस्य ने एक बात और कही कि सरकार को मिल ले लेने की बात करनी चाहिये।

सरकार ने एक कदम उठाया, केवल मिल चालू करने का। उसपर एक रिट आया। सरकार ने एक इन्ड्स्ट्रियल ट्रिब्युनल मुकर्रर किया था; उसपर भी रिट आया। इस पर अब और आगे बढ़ने से भी वही क्रम चालू रहेगा। उदाहरणार्थ "ग्राहक कहता है कि पूरा तोलना और दुकानदार कहे कि भीड छांटो" तो ऐसी स्थिति में कोई फल नहीं निकलता। तो इस मामले में बहस के लिये यह उपयुक्त समय नहीं है और आज यह मामला सब-ज्यूडिस है; अतः इस पर विचार करना मेरी राय में उचित नहीं मालुम होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या लीडर ऑफ दी हाउस दूसरा कोई समय मुकर्रर करेंगे; एक या दो दिन में ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—में अर्ज करना चाहता हूं कि जो एडजोर्नमेंन्ट मोशन आया है उसके साफ शब्द ये है :—

......"to discuss the situation arising out of the continued 83rd day of the lock-out of the Maharaja Kishengarh Mills"......

अभी इस लोक आउट पर वाद–विवाद करने की प्रार्थना की गई है और लोक आउट को बन्द करने के लिये सरकार ने आज्ञा दी थी। इसके वाद रिट चला आया। इसके वाद में अगर पेशी देने की है तो इसकी भी बात की जाय। रिट होने के वाद में भी अगर कोई हड़ताल कराते हैं, बहकाते हैं तो इस बहकाने के खिलाफ एडजोर्नमेंन्ट मोशन आता तो बात भी थी। लोक-आउट को समाप्त करने की तो दूसरी ही बात है। हाउस को इस तरह के एडजोर्नमेन्ट मोशन को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये। आज कानून के खिलाफ प्रोत्साहन देने वालों के इस तरह के एडजोर्नमेंन्ट मोशन को खारिज कर देना चाहिये और आगे कोई दूसरी तरफ से एडजोर्नमेन्ट आवेगा तो फैसले के बाद। अभी कोई प्रोमिज नहीं कर सकते। यह भी साफ बात है कि लॉ और आर्डर के ऊपर अगर असर पड़ेगा तो सरकार सख्त कदम उठावेगी, इसमें पीछे नहीं रहेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास - माननीय अध्यक्ष,कुछ रिमार्क किये गये हैं इसके बारे में........

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !

इस विषय में परिस्थिति स्पष्ट है कि किशनगढ़ महाराजा मिल्स, किशनगढ, में जो गतिरोध उत्पन्न हो गया है, इसके बारे में सरकार की ओर से उसको खोलने की आज्ञा दी गई और उसके बाद में उस आज्ञा के विरोध में कोई आवेदन हाईकोट में विचाराधीन है। यदि इसके ऊपर बहस करने की आज्ञा दी जाती है तो यह कोई सीमा नहीं रह जाती कि किस सीमा तक इस स्थिति पर विचार किया जा सकता है और वह कोनसी सीमा है जिसके ऊपर अतिक्रमण किया जा सकता है। जब एक बार बहस प्रारम्भ होगी तो यह आवश्यक है कि आदि से अन्त तक जो स्थिति है उसके ऊपर ही सदस्यगण अपने विचार प्रकट करेंगे। अपने यहां के रूल्स ऑफ बिजनेस के नियम ७५ के उप-नियम ७ के अन्तर्गत हम किसी भी ऐसे विषय पर वाद विवाद नहीं कर सकते जो अदालत में विचाराधीन हैं और जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं दिया गया है।

एसी स्थिति में मैं इस एडजोर्नमेन्ट मोशन को रूल आउट करता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पर्सनल एक्सप्लेनेशनः...........................

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर।

ऐसी कोई बात नहीं है कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन लिया जाय । आपने जो एडजोर्नमेन्ट मोशन पेश किया था उसके लिये आपको एक अतिरिक्त मौका और दिया गया । जहां तक इस मोशन का सवाल है ऐसी परिस्थिति होगी तो बाद में ले सकते हैं । कोई बात ऐसी नहीं है कि आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—The motive ....

श्री अध्यक्ष—No motive. You should take it from me and this should satisfy you

श्री एच. के. व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष—असल में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिये पर्सनल आक्षेप किया गया हो । आपने जो एडजोर्नमेन्ट मोशन पेश किया था उस पर मैंने सुना था। उसके बाद एक अतिरिक्त मौका भी दिया गया। जहां तक एडजोर्नमेन्ट मोशन का सवाल है पर्सनल बातें नहीं कही गई हैं जिन पर कि आपको कुछ कहने की आवश्यकता हो ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे मोटिव्ज के सिलसिले में कही गई है ।

श्री अध्यक्ष—ऐसी कोई बात ....

श्री हरिकृष्ण व्यास—But I want this to be told by the Leader of the House because it is he who made the remarks.

श्री अध्यक्ष—Order,

(विराम)

अन्तः सत्र काल में प्रख्यापित अध्यादेश

अध्यक्ष—इस सत्र के पूर्व तथा द्वितीय सत्र, १९५२ के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश अब सदन के समक्ष प्रस्तुत होंगे ।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—Mr. Speaker, Sir. I lay before the Assembly the Rajasthan Habitual Offenders (Second) Ordinance, 1952, promulgated after tha termination of the October-November Session, 1952, and before the commencement of the present session.

Page No.41

अन्तः सत्र काल में प्रख्यापित अध्यादेश

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)--Mr. Speaker, Sir, I lay before the Assembly the Rajasthan Famine (Suspension of proceedings) Amendment Ordinance, 1953, promulgated after the termination of the October-November Session, 1952, and before the commencement of the present session.

राजस्थान पशु तथा पक्षी बलिदान प्रतिषेध विधेयक, १६५२, के सम्बन्ध की याचिकायें।

श्री मनसाराम पुरोहित (सचिव)—Sir, Under Rule 193 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly I have to report that petitions relating to the Bill to provide for the prohibition of animal and bird sacrifices in connection with certain places of worship or in the name of certain deities or otherwise, which was introduced in the Rajasthan Legislative Assembly, on the 22nd October, 1952 by Shri Gopi Lal Yadav, M.L.A., have been received and I lay them on the Table.

श्री रामकरण जोशी--माननीय अध्यक्ष, म राजस्थान में जिला मंडलों की स्थापना तथा संघठन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है "कि राजस्थान में जिला-समितियों की स्थापना तथा संघठन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये"।

(स्वीकृत)

श्री रामकरण जोशी--माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान में जिला समितियों की स्थापना तथा संघठन की व्यवस्था करने के विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया--Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce a Bill to provide for the protection, conservation and development of fisheries in Rajasthan and other ancillary matters.

श्री रामकरण जोशी माननीय अध्यक्ष, मैं प्रसूति-संसीमन (कन्फाइनमेन्ट) के कुछ समय पूर्व तथा कुछ समय पश्चात् स्त्रियों की नियुक्ति को आनियमित करने वाला तथा उन्हें प्रसूति-उपकार के लिये निष्कृति (पेमेन्ट) की व्यवस्था करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

पुरः स्थापित होनेवाले विधियक

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री)—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal certain Rajasthan Laws.

श्री अध्यक्ष—The question is—"That leave be granted to introduce a Bill to repeal certain Rajasthan Laws".

(स्वीकृत)

श्री रामकिशोर व्यास—Sir, I beg to introduce the Rajasthan Laws Repealing Bill, 1953, before the House.

प्रवर समिति के प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री टीकाराम पालीवाल (उप मुख्य मंत्री)—Sir, I present the Report of the Select committee on the Bill to provide for the surveillance, and control of habitual offenders in the State of Rajasthan.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—Sir, I present the Report of the Select Committee on the Bill to establish and develop local Self-Government in the rural areas of Rajasthan.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Sir, I present the Report of the Select Committee on the Bill to consolidate and amend the law for the compulsory acquisition of land in Rajasthan.

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—Sir, I present the Report of the Select Committee on the Bill to amend the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952.

श्री लालसिंह शक्तावत—Sir, I present the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the summary settlement of unsettled lands in Rajasthan.

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir, I present the Report of the Select Committee on the Bill to make provision for the maintenance of certain essential services in Rajasthan.

प्रवर समिति के प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के लिये समय में वृद्धि

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir, I move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to provide for special measures to prevent activities prejudicial to the security of the State be extended upto the 17th of March, 1953.

श्री एच० के० व्यास—Sir, I want to raise a point of order regarding this. During the last session a Select Committee was appointed to consider this Bill and report to this House and the time-limit therefor was also fixed. That report has yet not been presented to this House. My submission is and in this connection I would refer to page 624 of the "Parliamentary Practice" by May. He says that "if a committee is unable to complete its inquiry, or to complete the consideration of a Bill, it makes a special report to that effect, and reports the bill without amendment." This is at the bottom of page 624. I would further refer to a portion on page 625 wherein it is laid down that "....should the committee attempt to dispose of a Bill by adjourning *sine die*, or to some very distant day when the probability is that Parliament will not be sitting, the House may order the committee to proceed with the Bill, notwithstanding its adjournment, or revive the committee, as the case may require, *on the fact being stated and the appropriate motion being made*." Therefore, Sir, it follows from this that before the House is intimated of the facts as to the stage of the progress of the previous committee till now, and before, therefore, a report of the proceedings of the Committee is placed before this House, it is inappropriate and improper to make a motion of this nature. I therefore submit that the procedure must be rectified and followed as laid down in this connection.

श्री अध्यक्ष— Do you want an intimation of the fact as to at what stage the proceedings of the Committee are? Is that what you mean?

श्री एच० के० व्यास— A report of the progress that the Committee has made so far.

श्री अध्यक्ष— ......And after that the motion should be made?

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir, the Hon'ble Member has raised a point quoting extracts from May's Parliamentary Practice. There is no doubt that it was open to the Committee to present an interim report, but I do not think it is obligatory and it is within the competence of the House to grant an extension of time. If the request had been made from any other Hon'ble member, there would have been some justification, but the Hon'ble Member happens to be a member of the

Page No.44

select Committee himself and he knows at what stage the deliberations of the Committee are, and he also knows that these deliberations have not come to a conclusion because it was he who obstructed the deliberations of the committee at every stage.

श्री एच० के० व्यास–Sir, I object to the remark being made. The Hon'ble Member says that I obstructed the proceedings of the Committee. I submit that it is most unparliamentary and I would like to request you to order the Hon'ble Member to withdraw this remark.

श्री टीकाराम पालीवाल—Well, the word "obstruct" I think, is not unparliamentary, but if my friend feels aggrieved and hurt by use of this very simple word, I withdraw it; but my friend knows that the deliberations have not come to conclusion.

श्री अध्यक्ष–This might have been a secret in the Committee which ought not to have come in here.

श्री टीकाराम पालीवाल—No, Sir, it was not a secret. As a matter of fact my friend told me that he will do whatever he can to delay the progress of the work. It was he who said so.

श्री एच० के० व्यास—Yes, I agree.

श्री अध्यक्ष––मैं यह समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी की जितनी भी कार्यवाही हो वह जब तक फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाय तब तक कॉन्फिडेन्शियल रहे और हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य इसके बारे में समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव कर सकता है। दूसरे, सिलेक्ट कमेटी उस समय तक काम करती रहेगी जब तक कि फाइनल रिपोर्ट तैयार न हो जाय ऐसी सूरत में मैं इस पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर को रूल आउट करता हूं, और मेरा निर्णय यह है कि माननीय सदस्य इसके लिये समय बढ़ाने की आज्ञा के लिये सदन से प्रार्थना कर सकते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप मुख्यमंत्री) —I have already moved it before the House.

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह सम्मति है कि समय बढाने की अनुमति दी जाय ?

(ट्रेजरी बेन्चेज की ओर से 'हां' 'हां' की ध्वनि)

श्री हरिकृष्ण व्यास—'ना' तो पूछिये; यदि किसी को 'ना' कहना हो वो ।

श्री अध्यक्ष—Do you want Division ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to be recorded in writing that some body said "No".

श्री अध्यक्ष—You are a member of the Committee.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सदन की इसके लिये समय बढ़ाने की अनुमति है ।

(स्वीकृत)

श्री अवनिकुमार—On a point of information, Sir, when shall we receive copies of the report of Select Committee ?

श्री अध्यक्ष—After it is finalised.

श्री अवनिकुमार—Not about this bill. Other reports are ready and I am referring to copies of those reports which have been placed on the table of the House. They must be sent to every member, because if any member wants to make any amendment, the report is necessary.

श्री अध्यक्ष—They will be circulated if necessary.

(विराम)

Now we come to the Address of His Highness the Rajpramukh.

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय अध्यक्ष, श्रीमन् राजप्रमुख ने कल इस सदन के सामने अभिभाषण दिया था । आज हम उस पर विचार तथा विवेचन के लिये उद्यत हैं । इस गत तीन मास के काल में जो सरकार ने कार्य किया उसके पर्यवेक्षण के लिहाज से यह समय तो बहुत कम

था कि हम सरकार की किसी कार्यवाही की प्रशंसा कर सकें अथवा उस पर कोई टीका-टिप्पणी कर सकें, क्योंकि तीन मास के समय में एक विशेष बात इस सदन के सामने हुई। गत अधिवेशन की समाप्ति के दिनों में इस सदन के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। इससे पूर्व जब से,सन् १९४९ से,राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी उस समय से अब तक बहुत कुछ काल सरकार का राज्य सेवाओं को एकसूत्री करने में लग गया था। उसके एकसूत्री होजाने के बाद ही हम यह जांच सकते हैं कि किन किन विषयों पर हमारी सरकार ने उन्नति की, अग्रसर बनी अथवा किन किन बातों में सरकार के कार्य में त्रुटियां रहीं। इस विचार से यदि हम श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण का अवलोकन करें तो हमारा उत्तर यह होता है कि इस कार्यकाल में सरकार ने जो कुछ भी किया, वह संतोषजनक ही नहीं, प्रत्युत बहुत ही अच्छा और प्रशंसनीय कार्य है। जो जो समस्याएं सामने आईं उन समस्याओं पर श्रीमन् राजप्रमुख ने प्रकाश डाला। उन समस्याओं को सुलझाने के लिये जो कदम सरकार ने उठाये उन पर भी श्रीमन् राजप्रमुख ने प्रकाश डाला। सरकार की नीति आगामी समय में क्या होगी यह भी हमको बतलाया। में उन विषयों को जिन पर श्रीमन राजप्रमुख ने हमें बतलाया है एक-एक, दो-दो शब्द बोलकर कहना चाहूंगा।

सबसे पहले में आपके सामने उन कार्योंके बारे में जो हमारे सदन ने किए हैं, कुछ कहना चाहता हूँ। जितने विधेयक हमारे सदन के सामने प्रस्तुत किएऔर जितने विधेयकों पर इतने थोड़े से समय में विचार किया गया, जो एक दो सत्रों में, किसी भी दूसरी लेजिस्लेटिव एसेम्बली के लिए विचार करना आसान नहीं था। इतने विधेयकों के आने का एक सब से बड़ा कारण यह था कि विधान के लागू हो जाने के बाद और हमारे राजस्थान प्रान्त की स्थापना के बाद जो अलग अलग देशी राज्यों में कानून लागू थे उनको एक साथ लागू करना नितान्त आवश्यक था। बहुत से कानून ऐसे थे जो एक राज्य में लागू थे और दूसरी जगह में नहीं। पार्लियामेंट ने उनको हम पर लागू किया किन्तु राजस्थान राज्य के विधान के अनुसार जो कानून बनाने के अधिकार इस राज्य की लेजिस्लेटिव एसेम्बली को थे उनको काम में लाना हमारे लिये अति आवश्यक था और उन अधिकारों के अनुसार हमने बहुत से कानून बना कर जनता के सामने रखे। उनमें से बहुत सों का उल्लेख श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में किया है जो पिछले सत्र में आये। उनके अलावा जो इस सत्र में हमारे सामने आवेंगे उनका भी उल्लेख किया गया है। में हाउस का ध्यान दो विधेयकों पर दिलाना चाहता हूं; कोओपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और फोरेस्ट एक्ट। ये दोनों ग्रामीण जनता के लिये बहुत ही उपयोगी हैं। हम इस सदन में बैठे हुए ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं का पूर्णरूपेण ध्यान नहीं रख सकते और उनकी आवश्यकताओं को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, मगर इन दो विधेयकों के जरिये से उनको जितना रिलीफ और सहायता मिलेगी, उससे हमको बड़ा संतोष होता है।

हमारे विधान में भी कोओपरेटिव सोसाइटीज पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसके अनुसार हम कोओपरेटिव सोसाइटीज बनावें और उनके तत्वावधान में ग्रामीण जनता को सहायता दें और एक दूसरे को स्वावलंबी बनावें, यही हमारे लिये आवश्यक है। यह हमारी अग्रसरता की एक निशानी है। हमारा यह कार्य बड़ा सराहनीय रहा है। में समझता हूं कि सरकार, कोओपरेटिव सोसाइटीज एक्ट

के जो अलग अलग निर्देश हैं उनको पूरा कराने में कदम बढ़ाती रहेगी और जो कदम आज तक सरकार की तरफ से इस संबन्ध में बढ़ाये गये हैं उसके लिये सरकार की प्रशंसा करने में मैं किसी तरह से अपने आपको गलत नहीं पाता।

दूसरा विषय कृषकों को सहायता देने का था। इसके लिये जो जो कार्य किये गये उनका उल्लेख श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में किया है और उसके अतिरिक्त कोई ऐसी बात नहीं रही जिसका उल्लेख करके हाउस का ध्यान मैं आकर्षित करता। मैं समझता हूं कि जिन जिन बातों का उल्लेख श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में किया है उसके अतिरिक्त सरकार कुछ और कार्य कर भी नहीं सकती थी और न कोई आवश्यकता ही थी।

दूसरी बात औद्योगिक विकास की है। भारतवर्ष में राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जहां पर ऊन की उत्पत्ति काफी होती है। यहां की इस प्रोडयूस को काम में लाने के लिये यह नितान्त आवश्यक था कि बजाय कच्ची ऊन बाहर भेजने के यहीं पर इसको साफ करके काम में लिया जाय जिससे यहां के मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसलिये सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए जयपुर में एक मिल की स्थापना करने की अनुमति दी है। सरकार ने इसकी अनुमति देकर यहां की एक नितान्त आवश्यकता की पूर्ति की है। इसके लिये वह धन्यवाद की पात्र है।

इसके अतिरिक्त जितना प्रयास खनिज पदार्थों की खोज में किया गया है उससे हमको संतोष है। यदि हम मिलों और फैक्टरियों में काम करने वालों को देखें तो मालूम होगा कि मिलों और फैक्टरियों में तो केवल काम करने वालों की संख्या ३५,००० ही है किन्तु खानों में काम करने वालों की संख्या २॥ लाख मजदूरों की है। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक था कि खनिजपदार्थों को निकालने में जितना काम किया जा सके किया जाय और हुआ भी ऐसा ही। इस से हमको संतोष हुआ। सरकार ने इस कार्य में जो कदम उठाया वह भी राजप्रमुख के भाषण में बताया गया है। यह भी बताया गया है कि एक माइनिंग इंस्टीटयुशन कायम किया जाने वाला है। इस से हमको बड़ा संतोष हुआ है। माईनिंग इंस्टीटयुशन के अतिरिक्त में एक और सुझाव पेश करूंगा कि इसके लिये और भी स्कूलों की आवश्यकता है। हमारी कालेजों में इसकी शिक्षा देने की व्यवस्था का किया जाना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि सरकार अपना ध्यान इस ओर भी देगी और निकट भविष्य में इसके लिये विशेष कदम उठायगी।

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य:—ये दोनों एक दूसरे से संबन्धित हैं। आजकल की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली एलोपेथिक है, जो बड़ी महंगी है। इसमें इन्जेक्शन आदि दवाइयों द्वारा रोगों के इलाज का तरीका जो है बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि इन दवाइयों से रोगियों को जितना लाभ उठाना चाहिये लाभ नहीं प्राप्त हो सकता और ज्यादा पैसा खर्च करने पर भी बहुतसी दवाइयां वेस्ट जाती हैं। डाक्टर लोग अमूमन पेटेन्ट दवाइयां बताते हैं और वह इतनी तादाद में मंगाई जाती हैं कि वे रोगियों की आवश्यकता से अधिक होती हैं और पूरी काम में नहीं आतीं। इसलिये, जितना पैसा इन दवाइयों पर खर्च किया जाता है इसके लिये विशेष ध्यान देने की बात है। अगर इन पेटेन्ट दवाइयों और इन्जेक्शनों के इलाजों की प्रणाली के अतिरिक्त देशी आयुर्वेदिक, युनानी, हिकमत आदि दूसरी प्रणाली का प्रयोग

किया जा सके तो जनता को बहुत ही सुलभ और सस्ती चिकित्सा मिल सकेगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस तरफ अवश्य कदम उठायगी। अगर राजप्रमुख के भाषण में इसका स्पष्टीकरण किया गया होता तो बहुत अच्छा होता। मैं आशा करता हूं कि माननीय संबन्धित मंत्री महोदय इस बारे में अपने विचार विस्तार से बतावेंगे। और मैं यह भी निवेदन करता हूं कि इस ओर कदम उठाना सरकार के लिये आवश्यक है। यही एक जरिया है जिस से सरकार हरेक ग्राम में हर ग्रामीण के पास सरकारी सहायता पहुंचा सकती है।

यह तीन महीने का समय ऐसा था कि जिसमें आमतौर पर बहुत से राज्यों में या स्थानों पर किसी किस्म की विशेष बीमारियां फैल सकती थीं; पर हमारा धन्य भाग्य है कि इन तीन चार महीनों के समय में कोई ऐसी बीमारी हमारे राजस्थान में नहीं आई कि जिससे हमें नुकसान हो। और मैं आशा करता हूं कि यही भाग्य हमें मदद करता रहेगा और कोई बीमारी हमारे यहां नहीं आयगी।

स्थानीय प्रशासनों को एक साथ करना नितांत आवश्यक था। इसी समय में राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट बना और वह कार्य रूप में परिणित किया गया। एक टारगेट हमारी सरकार के सामने यह होना चाहिये और है कि ४,००० की आबादी से ज्यादा जितने कस्बे हैं वहां नगरपालिकाएं हों और प्रत्येक जिले के लिये बोर्ड कायम हों, प्रत्येक ग्राम के लिये पंचायत हो।

हमारे संविधान का निर्देश है कि पंचायती राज्य हो और हम जितना जल्दी पंचायतें कायम कर सकें उतना ही अधिक हमें लाभ होगा। इसलिए पंचायत एक्ट, पंचायत बिल आपके सामने पेश है। मैं आशा करता हूं कि हाउस इस पर विचार करके इसे पास करेगा और राजप्रमुख की इस पर आज्ञा होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कानून के पास होने पर सरकार अपनी कमर कस लेगी और जल्दी पंचायत कायम करेगी। उनके चुनाव में टाइम लगेगा परन्तु आशा है कि सरकार इस काम को जल्दी सुलझायगी और इस तरह बहुत जल्दी हमारे राजस्थान में पंचायती राज्य कायम हो जायगा।

श्रीमन् राजप्रमुख ने हमको यह बतलाया कि हमारे राज्य के कुछ हिस्सों में अकाल की सी स्थिति पैदा हो गई है और अभाव के क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। विगत वर्षा की मौसम में वर्षा की कमी रहने के कारण और अब भी वर्षा न होने के कारण अभाव के क्षेत्र बढ़ गए हैं। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए वहां पर जन सहयोगी कार्य शुरू कर दिये गये हैं, जिस से जनता को मजदूरी मिले और वह अपना निर्वाह कर सके। इससे हमें आगे (भविष्य में) बड़ी भारी सहायता मिलेगी अर्थात एक ही पत्थर से हम दो चिड़ियें मार रहे हैं। एक कार्य से यदि हम दो प्रश्नों को हल कर सकें तो इस से ज्यादा संतोष की बात और क्या हो सकती है। इस कार्य से हम अकाल का भी मुकाबला करेंगे, अभाव को भी दूर करेंगे और आगामी निर्माण कार्य को भी हम पूरा कर सकेंगे। यह हम सब के लिये संतोष की बात है।

हमें आशा थी कि प्लानिंग बोर्ड कायम किया जायगा और इस राज्य की वस्तुतः पंचवर्षीय योजना के लिये स्वीकृति जल्दी हो जायगी। केन्द्र की ओर से स्वीकृति हो चुकी है और हमारी सरकार भी इसको पूरा करने के लिये जल्दी ही कदम उठायगी। इस स्वीकृति के आने के पहले सरकार एक प्लानिंग बोर्ड

कायम कर रही है ऐसी में आशा करता हूं और इसके सुपुर्द जितनी योजनाएं हैं उनको कार्यान्वित करने के लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाया जायगा। इन योजनाओं के लिये बहुतसा रुपया केन्द्रीय सरकार से मिल जायगा परन्तु अपने राज्य कोष से भी रुपया निकालना पड़ेगा। मुझे यह देख कर दुःख हुआ कि हमारे राज्य कोष में बराबर कमी आती जा रही है, हमारी आर्थिक स्थिति बराबर खराब हो रही है। ऐसी स्थिति में हमारे लिये कठिनाई पेश हो जायगी कि इसमें हम कुछ भी खर्चा करें। मैं तो आशा करता हूं कि सरकार इस ओर साहसपूर्वक कदम उठायगी।

आर्थिक समस्या की ओर देखते हुए कुछ और विचार पैदा होते हैं। जितने देशी राज्य इस राजस्थान राज्य में सम्मिलित हुए उनमें से कुछ के ही राज्यकोष प्राप्त हुए परन्तु वह कोष इन वर्षों में बहुत कम हो गया है और यह भी हम जानते हैं कि आगामी वर्षों में हमारी आर्थिक स्थिति का सुधार होना बहुत कठिन है।

श्री राजप्रमुख ने सदन का ध्यान दिलाया कि हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम अपनी पार्टी पोलिटिक्स के डिफरेंसेज को दूर करके राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने में संलग्न हो जायं। मैं समझता हूं कि हम इस कर्तव्य को समझते हैं और इस सत्र में अपनी इस विकट समस्या के हल का कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। एक सत्य इस संबन्ध में हमारे सामने है कि आगामी वर्षों में दस करोड़ रुपये का घाटा होने वाला है। गत बजट पेश किया गया उससे भी आभास होता था कि जितनी आय हम समझ रहे हैं उतनी नहीं हो पायगी और यह नहीं कहा जा सकता कि आय कितनी कम होगी, कितना फर्क हो जायगा।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा समझता हूं कि इस वर्ष हमारे लिये और भी कितनी ही समस्याएं उपस्थित होंगी और आगामी वर्षों में इस तरह की समस्याओं को हम किस तरह से सुलझा सकते हैं, इस पर विचार करना नितान्त आवश्यक है।

किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने के तीन ही रास्ते हैं: पहला तो यह कि आय की वृद्धि की जाय। दूसरा यह कि खर्च में कमी की जाय। आय की वृद्धि का दूसरा रास्ता यह है कि रेवेन्यु में जो लीकेज होती है उसे बन्द किया जाय। मुझे पूर्ण आशा है कि अब जब कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अर्थ का पोर्टफोलियो अपने हाथ में लिया है वे सरकार की आय को पूर्णरूपेण ठीक करेंगे। और इन तीनों ही विषयों में विशेषतः रेवेन्यु की लीकेज को बंद करने में साहसिक कदम उठायेंगे। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार का कदम उठाने से हमारी सेवाओं में असंतोष की लहर आ जाती है किन्तु इससे यदि असंतोष पैदा होता है तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी है क्योंकि जो आय का लीकेज होता है उससे लोग व्यक्तिगत फायदा उठाते हैं। यह चोरी और रिश्वतखोरी के ही विशेष अंग हैं। दूसरे रूप में जितनी चोरियां और रिश्वतखोरी होती हैं वे बहुत हानिकारक हैं और इसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। इससे पब्लिक की भलाई नहीं होती। इसलिये बहुत जल्द इसके लिये जितना और जैसा सख्त कदम उठाया जा सके उठाया जाना चाहिये; ऐसी मैं इस सदन और सरकार से आशा करता हूं।

दूसरा रास्ता है खर्च में कमी करने का। यह विशेष विचारणीय विषय है। हमारे राज्य की सेवाओं में जितना खर्च होता है और उसी की तुलना में दूसरे विषयों में जो खर्च होता है वह देखने योग्य है। मसलन चिकित्सा विभाग में जितना खर्चा डाक्टरों के वेतन में होता है उसके मुकाबले में दवाइयों में बहुत कम खर्चा होता है। इस प्रकार का खर्चा कम होना चाहिये। दवाइयों इत्यादि में जो खर्चा होता है उसका और वेतनों में जो खर्चा होता है उसका कोई अनुपात नियत नहीं है। डाक्टर को आप ३००) रु० मासिक और दवाइयों में ३०) रु० मासिक खर्च करें, यह कोई अनुपात नहीं है कि आप केवल १० प्रतिशत दवाईयों में खर्च करें। इसलिये इसका उचित अनुपात नियत होना चाहिये कि इतना रुपया दवाइयों में और इतना वेतन में खर्च किया जायगा। इसी तरह राज्य की सेवाओं में जितना खर्चा होता है उतना नेशनबिल्डिंग एक्टिविटीज के लिये खर्च नहीं किया जाता। यह अनुपात राज्य के लिये ठीक नहीं है। अभी कल-परसों ही अखबारों में पढ़ने में आया था कि केन्द्रीय सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि राज्य की खास सेवाओं के लिये ज्यादा से ज्यादा क्या वेतन होना चाहिये। सेन्ट्रल पे कमीशन ने ज्यादा से ज्यादा तीन हजार रुपया मासिक नियत किया था और उसमें जो पहले के आई. सी. एस. थे वे इस दायरे में नहीं आते थे। पंजाब में शिक्षकों की हड़ताल के कारण यह प्रश्न पंजाब राज्य की सरकार के सामने उपस्थित हुआ था। पंजाब में जो फैसला हुआ उससे केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हुआ कि वह भी इन प्रश्नों पर आदि से अन्त तक विचार करके निर्णय दे। वह निर्णय, मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द आने वाला है और वह हमारे लिये अच्छा पथप्रदर्शक होगा किन्तु फिर भी हमको अपने राज्य के लिये विचार करने की आवश्यकता होगी। हमारे राज्य की उच्चतम सेवाओं के लिये क्या पारितोषिक अथवा वेतन होना चाहिये और न्यूनतम सेवाओं के लिये कम से कम क्या वेतन होना चाहिये। इस पर विचार करना हमारे लिये नितान्त आवश्यक है। मैं ऐसा मान लेता हूं, गो कि मेरे सामने वे आंकड़े नहीं हैं जिन पर कि सेन्ट्रल पे कमीशन ने विचार किया फिर भी उनमें से बहुत सी बातें हमारे राज्य में लागू नहीं होतीं। उन्हीं के आधार पर सेन्ट्रल पे कमीशन के आंकडे हम इस राज्य में लागू नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिये नहीं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है बल्कि इसलिये कि हमारी प्रान्त की परिस्थिति और आवश्यकताएं दूसरे प्रान्त की आवश्यकताओं से भिन्नता रखती हैं। सेन्ट्रल पे कमीशन की शिफारिश कुछ भी हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमें यह तय करना है कि हमारे राज्य की सेवाओं का सबसे ज्यादा क्या वेतन हो सकता है और कम से कम क्या वेतन होना चाहिये? यह निश्चय करना नितान्त आवश्यक है। मैं आशा करता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान देकर निर्णय करे और ऐसा समझता हूं कि निर्णय देने से पूर्व इस सदन के सामने अपने विचार रखे ताकि यह सदन पूर्ण विचार कर के मत प्रकट कर सके।

एक दो बातें और हमारे सामने उपस्थित होती हैं। जितनी भी विकास योजनाएं हैं उनके लिये बहुत सा रुपया अवश्य ही केन्द्रीय सरकार से मिल जायगा। इन विकास योजनाओं से इस राज्य के उन हिस्सों के लोगों को भी जो कि बहुत पिछडे हुए हैं, मेहनत मजदूरी के रूप में कुछ रुपया अवश्य मिल जायगा और भविष्य के लिये ये विकास योजनाएं हमारे सामने बड़ा उज्वल चित्र रखती हैं। किन्तु हमें यह भी देखना है कि इन विकास योजनाओं को कार्यरूप में परिणित करने के लिये क्या कार्यवाही चल रही

है। यह बताया गया है कि उनके लिये कुछ हजार मजदूर काम कर रहे हैं। हम ऐसा समझते हैं कि कुछ हजार मजदूरों के काम करने से तो छोटी २ योजनाओं में भी कई वर्ष लग जाते हे तो इससे कहीं फाइव ईयर प्लान (पंवर्षीय योजना) का एम फ्रास्ट्रेट (उद्देश्य विफल) न हो जाय और वह ५० इयर प्लान न बन जाय। प्लान बनाने में भी बहुत सा समय खर्च किया गया है। अब यदि उसी अनुमान से काम किया गया और अधिक समय लगाया गया तो बहुत लंबा समय लग जायगा और यह विकास योजना नहीं रहेगी बल्कि वह एक रिलीफ मेजर ही रह जायगा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पर विशेषरूप से नियंत्रण रखा जाय कि जितना कार्य पूरा करना है वह उसी अवधि में पूरा कर दिया जाता है या नहीं। इस कार्य को करने में यदि कहीं बाधाएं हों तो उनको जितना जल्दी मिटा दिया जा सके ऐसी कोशिश की जाय। आशा है योजना मंत्री इस पर विशेष ध्यान देंगे। इन योजनाओं के साथ हमारी एक विशेष परिस्थिति ओर है। हमारे राज्य में पिछडी हुई जातियें और पिछडे हुए इलाके भी बहुत हैं ऐसे इलाके भी हैं जहा पर पहुंचना आसान नहीं हे, जिनके लिय यह कहा जा सकता है कि वे बडे दुर्गम स्थान हैं। हमारे इतन बडे राज्य में केवल १० हजार मील हैं। अभी अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि ऐसी सडकें बनाई जा रही हैं जिनके द्वारा हम दुर्गम स्थानों तक भी पहुंच सकते हैं और इन स्थानों में जो उपज होती है उसका फायदा अब सारे राज्य को मिल सकता है और इन्हीं के द्वारा वहां के रहने वाले जो उपज पैदा करते हैं उनको भी फायदा हो सकता है। अतएव सडकों का विस्तार काफी होना चाहिये। ट्रान्सपोर्ट की सुविधा राज्य के हर कोने में जितनी जल्दी पहुंच सके उतनी पहुंचनी चाहिये; यह नितान्त आवश्यक है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटि कायम होने से, एक ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी या रीजनल ट्रान्सपोर्ट आथोरिटी के कायम हो जाने से वहां के सब प्रश्न, स्थानीय जनता के प्रश्न, उन्हीं ऑथोरिटीज के सामने फौरन आ जाते हैं और उन्हें हल करने में उन्हें कोई समय नहीं लगता है। इसमें जनता का सहयोग प्राप्त होता है क्योंकि जनता ही अपना रुपया लगा कर ट्रान्सपोर्ट की व्हीकल्स खडी करती है और चलाती है। तो सडकों के निर्माण के कार्य को जल्दी से जल्दी और साइन्टिफिक वे में फौरन हमें अपने हाथ में लेना चाहियें। अब वे पुराने कार्य जो कि लड़ाई के समय में स्थगित कर दिये गये थे, क्योंकि हमें उस वक्त रोड रोलर्स नहीं मिलते थे, अब तो हिन्दुस्थान में भी रोलर्स के बनने का कारखाना हो चुका है, हमें पुनः हाथ में लेना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सडकों के निर्माण का कार्य जल्दी से जल्दी हाथ में लिया जायगा।

बैकवर्ड क्लासेज का भी एक पेचीदा प्रश्न है। शिक्षा में हमारा प्रान्त सबसे ज्यादा पिछडा हुआ है भारत भर में ऐसा कोई प्रान्त नहीं जिसमें शिक्षा के आंकडे इतने कम हों। २५ लाख बच्चों में से केवल ४ लाख बच्चे ही स्कूलों में जायं और इस पर भी यह हालत है कि वे नौकरी के लिये दर दर भटकें; कैसी विकट स्थिति है यह! इतनी कम संख्या बच्चों की होने पर भी उन्हें स्कूलों में स्थान मिलना कठिन है। छोटे छोटे बालकों के लिये, मैं मानता हूं कि, शहरों में बहुत व्यवस्था है और वहां तरह तरह के स्कूल हैं और तरह तरह की पद्धति से शिक्षा देने की व्यवस्था उन स्कूलों में है, किन्तु इसके साथ साथ यह भी मानना पडेगा कि गांवों में स्कूल नहीं हैं। दूर दूर तक किसी छोटे बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं है; यह

एक बड़ा कठिन प्रश्न है। स्कूलों को कायम करना और उनको चलाते रहने का प्रश्न सरकार की आर्थिक स्थिति से बाहर है। जो नई योजनाएं जो कम्युनिटि प्रोजेक्ट की योजनाएं हैं उन कम्युनिटि प्रोजेक्ट योजनाओं में आत्म-निर्भरता पर बहुत जोर दिया गया है और उस आत्म-निर्भरता में शिक्षा भी है। हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम ग्रामीण जनता को यह बतलायें कि शिक्षा में विशेष आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये उनका कर्तव्य हो जाता है कि वे ग्रामों में नाइट स्कूलें, छोटी छोटी स्कूलें चलाकर स्वयमें अपने आप को और अपने बच्चों को शिक्षित बनावें। अगर यह कदम नहीं उठाया गया तो यह संभव नहीं है कि हम दस या बीस वर्ष में भी राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित कर सकें। इस लिहाज से शिक्षा के प्रसार के लिये हमको केवल राज्य पर निर्भर नहीं रहना है। हमें स्वयम् कदम उठाकर, इस राज्य की सारी जनता को कदम उठाकर, शिक्षा में संलग्न होने की अत्यन्त आवश्यकता है। इतनी प्रोब्लेम्सका दिग्दर्शन ही हमारे राज्य के लिये ऐसा प्रश्न है कि जब तक यह सदन और तमाम राज्य के रहने वाले संलग्न होकर, एकचित्त होकर, अपनी पूरी ताकत लगा कर आगे कार्य करने में संगठित न होंगे, मैं आशा नहीं करता हूं कि इस राज्य में बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। ऐसी ही स्थिति सरकार की है। फिर भी इस समय में जो कुछ भी कार्य सरकार ने किया है मैं उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता हूं।

पहले लॉ एन्ड आर्डर की बात कही गई थी। पश्चिमी भागों में ऐसी स्थिति पैदा होगई थी कि जैसे कोई राज्य ही नहीं। मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि दत्तचित्त होकर, उसमें लगकर, उसने एक ओर पुलिस की कार्यवाहियों को मजबूत किया और दूसरी ओर इतने कम समय में ही बहुत कुख्यात डाकुओं का सफाया कर दिया और जो थोड़े से रह गये हैं, तो यह कहा जा सकता है कि लॉ एन्ड आर्डर की कुछ विशेष आवश्यकता है। जितनी सिक्युरिटी एक राज्य द्वारा जनता को देना आवश्यक है अब ऐसा मालूम होता कि सिक्युरिटी राज्य के प्रत्येक को में है; किन्तु इक्के दुक्के कहीं डाके पड़ जाना ऐसा कोई विशेष नहीं है कि सदन उन पर विचार करे। इस समस्या को बहुत ही प्रशंसनीय रूप में हल किया गया है।

अब एक आर्थिक समस्या ही ऐसा प्रश्न रह गया है जिसको हमें हल करना है और जैसा श्रीमन् राजप्रमुख ने हमें आदेश दिया है, मैं आशा करता हूँ कि हम उस प्रश्न को भी हल कर लेंगे। जो कुछ कार्य किये गये हैं उनका विवेचन स्थूल रूप में मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं।

अब मैं सदन के सम्मुख प्रस्ताव करता हूं कि इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिये, जो कि कृपा पूर्वक उन्होंने सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं और यह प्रार्थना करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पास करे,

(राज पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री हरिदेव जोशी—अध्यक्ष महोदय, हमारे लिये यह प्रसन्नता की बात है कि इस अधिवेशन के प्रारम्भ होने से पहले श्रीमन् राजप्रमुख ने हमारे लिए कुछ निर्देश दिये हैं; अपने अभिभाषण के रूप में। पिछली मर्तबा जब कि वे यहां पधारे थे और उन्होंने जो कुछ कहा था वह भी काफी गम्भीर

था और जिन समस्याओं का उन्होंने इस बार निरूपण किया है वे भी कम गम्भीर नहीं हैं । किन्तु यह संतोष का विषय है कि जिन जिन खतरों की ओर उन्होंने संकेत किया है, मैं समझता हूं, उनके पार पाने में हम लोग सफल हुए हैं। किसी राज्य की अथवा सरकार की सफलता-असफलता का निर्देश इस बात से मिलता है कि वह सरकार कोई दृढ़ सरकार है अथवा नहीं और वह सरकार उन सारी समस्याओं का समाधान कर सकने में समर्थ है या नहीं जो उस पर मंडराती आ रही हैं । पिछले अभिभाषण में श्रीमन् राजप्रमुख ने यह फरमाया था कि इस राज्य की प्रमुख समस्या लॉ एन्ड ओर्डर की समस्या है। यह समस्या वास्तव में हम लोगों के दिमाग पर एक प्रकार से अभिभूत होगई थी और हम लोगों को प्रभावित कर रही थी और निश्चय ही हमारा प्रदेश अथवा राज्य ऐसा राज्य नहीं कहा जा सकता था कि जहां कोई सभ्य सरकार शासन करती हो। प्रसन्नता का विषय है कि हम उन कठिनाइयों से पार पा गये। उन कठिनाइयों से पार पाने के लिये कुछ कदम उठाये गये। पिछले दिनों हैदराबाद अधिवेशन में कुछ मित्रों के साथ गए तो राजस्थान को डाकुओं के कारण से काफी लोग जानते थे, कुछ लोगों ने इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे थे कि राजस्थान की क्या स्थिति है ? चोरियां और डकैतियां होती हैं या नहीं ? कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान अजीब ढंग से पहिचाने जाने लगा था । किन्तु अब प्रसन्नता की बात है कि वह पहिचान मिटती जारही है और अब यह दूसरी तरह से पहिचाना जाने लगेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक दृढ नीति का परिणाम है। इसमें कई प्रकार की कठिनाइयां,मुसीबतें बर्दाश्त करनी पडी हैं। कई लोगों को जाने खोनी पडीं और कई ऐसे काम भी करने पड़े जो अप्रिय हो सकते थे, जिनको कई लोग पसन्द नहीं करते थे ; लेकिन बडे कामों को करने में बडे कदम उठाने ही पड़ते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो भी खतरे हमारे सामने भविष्य में आवेंगे हम दृढ़ता पूर्वक उनका मुकाबिला करेंगे ।

इसमें शक नहीं, जैसा कि राजप्रमुख साहब ने फरमाया, कि अभी हमारी आर्थिक कठिनाई सब से बड़ी है। यह कठिनाई उस दिन पहले पहले हमारे समाने आई हो ऐसी बात नहीं है जिस दिन अखबारों में हमने देखा कि राजस्थान की माली हालत खराब है और उसका बैंक बेलेंस अब नहीं रहा है और बैंक ने भुगतान करना बन्द कर दिया है। जो कोई सवालात इस सिलसिले में पूछे जाते हैं हम देखते हैं कि अधिकांश जवाब उनके बारे में मिलते हैं कि अगर हमारी माली हालत अच्छी हुई और अगर सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने हमें आर्थिक मदद दी तो ये सारे काम हो सकेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि हम अपने पांवों पर खडे नहीं हो पाये हैं। जैसाकि अभी मेरे मित्र कासलीवालजीने बताया कि यह एक ऐसा सवाल है कि जिस पर राजस्थान का भविष्य निर्भर करता है। अगर हमें उठना है और अगर हमें हमारे इस गरीब प्रदेश को ऊंचा उठाना है और इसके लोगों का उत्थान होना है तो इसकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करना ही होगा। अगर हम इसमें असफल रहे तो यह प्रदेश तो गिरेगा ही, साथ ही साथ हम इस लम्बे चौडे मुल्क के साथ नहीं चल सकेंगे। इसलिए हमें इन सारे कारणों पर विचार करना होगा कि किन कारणों को लेकर आज हमारी यह स्थिति हुई है।

जो रियासतें इस राजस्थानमें मिली हैं उनकी माली हालत लगभग अच्छी थी और अच्छे ढंग से, बल्कि काफी अच्छे ढंग से, उनका काम काज होता आ रहा था। फिर क्या कारण है कि इन चार पांच वर्षों में ही हम उस स्थिति में नहीं रहे और हम उन सारी चीजों को नहीं कर पा रहे हैं जिनको करना चाहते हैं।

कारण सब से मुख्य यह है कि आमदनीके हमारे जो श्रोत थे और जो काफी अच्छे थे वे चले गये हैं और उनके बदले में जो कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर हमारी रेलों को लीजिये। इन रेलोंके कारण जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि भूतपूर्व रियासतोंमें काफी पैसा आता था। मैंने एक इन्टरेस्टेड व्यक्ति होने के नाते इन सारी चीजों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया और मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि वह मुआवजा उचित रूप में हमें नहीं मिला, चाहे इस मुआवजे को लेने में हम असमर्थ रहे हों या देने वालों ने कोताई की हो।

राजस्थान की माली हालत बिगड़ने का कारण टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन भी है। बडे बडे नौकर अच्छे हैं, उन्हें रखना आवश्यक है; यह माना जाता है और इसी कारण उनके खर्चे बढे हैं और चपरासी, आम क्लर्कों एवं मालियों व फोरेस्ट के गार्डों की तनख्वाहें कम हैं। रिट्रेंचमेन्ट के समय भी बडे बडे अधिकारियों को तरक्की की जावे और छोटों को निकाला जावे; मैं नहीं समझता कि इससे हमारी माली हालत सुधर सकती है। इस स्थिति की ओर हमें देखना होगा; रोग का निदान करना होगा; इन ऊंचे ऊंचे लोगों की हमें किस सीमा तक आवश्यकता है? इनकी आवश्यकता है भी या नहीं ३,७०० रुपये का एक सी.सी.एफ (C.C.F.) हमें चाहिये या नहीं, यह सब देखना होगा यह देखने की जरूरत है। जबतक हम इस चीज में भेद नहीं कर सकेंगे, हम रोग का निदान भी नहीं कर सकते। इसलिये मैं अपने साथी कासलीवालजी की इस बात का समर्थन करना चाहता हूं कि रोग का निदान अवश्य करना चाहिये।

जिस प्रकार लॉ एन्ड आर्डर की समस्या का समाधान करने में सख्ती का कदम उठाया गया और सफलता मिली उसी तरह हमें इस माली हालत को सुधारनेके मामले में भी सख्त कदम उठानेकी आवश्यकता है। खतरे तो हैं ही; इनका मुकाबला करने के लिये हिम्मत से काम लिया जाना चाहिये। और हिम्मत से हमें काम लेना पडेगा। नहीं तो हम असफल होंगे और इस असफलता के लिये हमें जवाब देना होगा राजस्थान की डेढ़ करोड. जनता को, यह हमारा परीक्षण का काल है। आज राजस्थान की जनता टकटकी, लगाए हमारी ओर यह देख रही है कि हम इस परीक्षण में सफल होते हैं या असफल। यदि असफल होते हैं तो हमें अधिकार नहीं कि हम आगे अपने को इस रूप में बढाये चले जाएं। इसलिये मैं सदन के इस ओर और उस ओर बैठने वालों से निवेदन करूंगा कि सामूहिक रूप से हम सबकी जिम्मेदारी है, इस मामले में; हमारी इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये हम सबको एक मत होकर कदम उठाना चाहिये।

टैक्स लगाना आवश्यक है। सरकार ने ऐसे कदम उठाये भी हैं जैसे एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स। कोई इसको स्वीकार करते हैं, कोई अस्वीकार। पर हमें इस मामले में भी बहुत ही विस्तृत दृष्टिकोण से सोचना है; खास कर इस दृष्टिकोण से कि आया हम अपने प्रदेश को दृढ़ और समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं या नही। आज अगर हमें इस प्रान्त की समस्याओं का समाधान करना है तो इसी दृष्टि कोण से हमें विचार करना होगा। मैं थोडे से समय में और छोटे से दायरे में इन सारी बातों का दिग्दर्शन तो नहीं करा सकता पर मैं महसूस करता हूं कि अगर हमने सावधानीसे काम लियातोकुछ वर्षों में हम सारी स्थिति से पार पा सकते है। मगर जैसाकि मैंने टैक्सका उदाहरण दिया है वे टैक्स पिन चुभाने के से नहीं

होने चाहियें। अभी कुछ दिन हुए फोरेस्ट विभाग ने टैक्स लगाया पत्तों पर। वे पत्ते जो जंगल में से लाकर लोग चौपायों को खिलाया करते हैं। पर हैड (Per head) एक पैसा टैक्स लगाया। इससे सरकार को आमदनी हुई कुल पांच रुपये सात आने की। इस प्रकार के टैक्स हमारी माली हालत सुधारने में हमारी मदद नहीं कर सकते। इस प्रकार के टैक्स लगा कर अपनी माली हालत सुधारने की तरफ हम नहीं बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के टैक्सों से हमारी माली हालत तो नहीं सुधर सकती बल्कि ये उल्टे नुक्सानदेह होते हैं। इस प्रकार के टैक्स सरकार के प्रति आम जनता में बदगुमानी और गलतफहमी पैदा करते हैं। इसलिये जो लोग इनके लिये जिम्मेदार हों और जो लोग इनके लिये वेतन पाते हों, जो समझते हैं कि उन पर इनकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें सरकार की स्थिति को सुरक्षित रखने के लिये राजस्थान के १॥ करोड लोगों की सेवा करने के लिये बडी बुद्धिमत्ता पूर्वक इन टैक्सों का प्रबन्ध करना चाहिये। मैं फिर निवेदन करूंगा कि टैक्स लगाये जाने चाहिये पर बडी बुद्धिमत्तापूर्वक। अगर आजादी के बाद में इस प्रदेश को ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है और ऐसा अगर हम अनुभव करते हैं तो हमें समझना चाहिये कि हम एक कोऑपरेटिव समाज के अंग हैं। अगर कोऑपरेटिव रूप से हमारी तरक्की होगी तो हम सबकी होगी और अगर गिरेंगे तो हम सब साथ गिरेंगे। इसी प्रकार से, जैसा कि अभी मेरे मित्र ने बतलाया एडमिनिस्ट्रेशन को भी अधिक टाइट करने की जरूरत है।

अभी पिछले दिनों में मैं एक डिस्ट्रिक्ट में गया था। वहां मेरे एक मित्र थे, रेवेन्यू में काम करने वाले। उन्होंने बताया कि नवतोड जमीन इतनी अधिक हुई है कि अगर उसका लगान ठीक ढंग से लगाया जाय तो कई हजार की आमदनी सरकार को हो सकती है। किन कारणों से यह जमीन रजिस्टर नहीं हुई, पैमाइश की जाकर परचे क्यों नहीं दिये गये; यह मैं नहीं जानता। यह तो उदाहरण के तौर पर मैंने जिक्र किया है। ऐसे ऐसे और भी अनेकों जरिये खोजे जा सकते हैं।

मैंने सुना है माइन्स पर भी कई लोगों ने नाजायज कब्जे कर रक्खे हैं। काफी माइन्स ऐसी हैं जिन पर ध्यान दें तो उनसे हमें काफी पैसा मिल सकता है।

मैं समझता हूं कि इन सारे सूत्रों को हमें टटोलना पडेगा। अगर नहीं टटोलेंगे तो यह साफ है कि हम इस प्रदेश का शासन करने के काबिल नहीं हैं। इसलिये हमें इन मामलों में तनदेही से काम करना पडेगा।

सेन्टर की सहायता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सेन्टर से सहायता प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। इससे कोई इन्कार नहीं किया जा सकता। सेन्टर वह जरिया है, जैसे कि एक बच्चा भूखा होता है तो वह अपनी मां के पास दौडा जाता है, उसी तरह जब हमें पैसे की आवश्यकता होती है तो हम सेन्टर से सहायता प्राप्त करने जाते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप पैसे के लिये सेन्टर के पास जाइये; लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी एक उचित रूप-रेखा हमें बना लेनी पडेगी। आखिर हमें सेन्टर के पास किस हद तक मांगना है, हम क्या चीजें उससे लेना चाहते हैं, रेल्वे के बारे में लेना चाहते हैं या एक्साइज के बारे में लेना चाहते हैं, या बोर्डर की सुरक्षा के बारे में लेना चाहते हैं, आपका

अधिकतम शेयर क्या है जिसके लिये आप सेन्टर से मांग करना चाहते हैं ; यह हमें तय करना होगा । अकाल पड़ता है उसके लिये हम पैसे की मांग करते हैं और कोई केलेमिटी होती है उसके लिये मांग करते हैं । यह चीजें सदा उचित नहीं हो सकतीं । हमारा जो ड्यू शेयर है उसकी हमें मांग करनी चाहिये । उसके बाद में समझता हूं कि इस हाउस का कोई व्यक्ति, भारत सरकार से जो हिस्सा लेना है उसको लेनेमें, इन्कार कर सकता है ; ऐसा मैं नहीं मानता । इस श्रोत को प्राप्त करने के लिये हमें दूर-दृष्टि से काम लेना चाहिये ।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत अधिक सम्पति बाहर बिखरी पडी है । जैसे दिल्ली के अन्दर राजस्थान के बहुत बडे मकानात हैं ; जैसे जोधपुर हाउस, उदयपुर हाउस, बीकानेर हाउस, कोटा हाउस, बूंदी हाउस । आपको उनसे क्या मिल रहा है ? आखिर इतनी बडी सम्पति को हम बेकार क्यों रख रहे हैं ? भारत सरकार उनका उपयोग कर रही है । जब हम लोग दिवालिया हालत में गुजर रहे हैं तो हमारी यह कहां की उदारता है कि हम उनका किराये के रूप में एक भी पैसा न लें। जबकि हम पैसे पैसे के लिये मुहताज हैं, हमें उसका किराया मिलता है या नहीं, यह भी हमें अवश्य देखना चाहिये । मैंने तो यहां तक पिछले दिनों देखा कि मिनिस्टर साहबान या अन्य व्यक्तियों के रहने तक के लिये वहां कोई उचित व्यवस्था नहीं है । इस प्रकार की उदारता अच्छी नहीं कही जा सकती ।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि पुरानी पुरानी रियासतों के जमाने में मथुरा, बृन्दावन, हरिद्वार, इलाहबाद आदि में सभी जगह बड़े बड़े मकानात रियासतों की तरफ से बनाये गये हैं । इस प्रकार करोडों रुपये की सम्पति है । मैंने सुना है कि यू.पी. सरकार इस प्रकार के अपने मकानों का उपयोग कर रही है । जैसे भी हो, चाहे मकानात बेच कर भी हमें अपने यहां की बडी बडी स्कीमों को पूरा करना चाहिये । आज उनका उपयोग नहीं होता है, उनकी मरम्मत नहीं होती है तो उस सम्पति का उपयोग किस तरह से हो सकता है । इसी प्रकार मत्स्य के अन्दर भी निजूल सम्पत्ति है जिसका भी उपयोग किया जा सकता है । ये तो ऐसी चीजें हैं जिनको हम मालुम कर सकते हैं, साधारण जनता को इनकी जानकारी हो सकती है । इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान निर्माण के बाद में हमारे प्रान्त पर कई प्रकार की कठिनाइय और कई प्रकार की मुसीबतें आई हैं । यहां अकाल सब से बड़ी और मुख्य मुसीबत है । राजस्थान का प्राकृतिक स्वरूप ही ऐसा है कि कभी कभी तो यहां कुछ स्थानों में अतिवृष्टि होती है और कहीं वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है । राजस्थान में एक स्थान ऐसा है कि जहां पानी की कमी की वजह से अकाल पड़ जाता है और राजस्थान का दक्षिणतम हिस्सा बांसवाडा ऐसा स्थान है जहां इस वर्ष ६०–७० इंच वर्षा हुई है । और जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्षा कम हुई है । हमें इन दोनों प्राकृतिक स्वरूपों का मेल बैठा कर चलना पड़ेगा । हमारे प्रान्त की माली हालत खराब होने के कारण हम इतने ज्यादा काम नहीं कर सकते और न कर पाये हैं; मगर जो कुछ हो रहा है, जितनी अधिक मदद होनी चाहिये उसे काफी पर्याप्त तो नहीं कहा जाना चाहिये किन्तु बहुत कुछ है ही । यह जवाब देना कि जितना होना चाहिये उतना कर दिया गया है, ठीक नहीं है ।

राजप्रमुख के भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकार करते समय हमें यह देखना है कि आज की माली हालत के अन्दर हम जो कुछ कर सकते हैं हमने पूरा किया है या नहीं । पिछले वर्ष इस

संबन्ध में काफी प्रयत्न हुआ, इस वर्ष भी हुआ और आने वाले बजट सेशन में इस चीज के लिये रकम रखेंगे ; राहत के काम के लिये कुछ प्रयत्न किया जायगा । इस विषय में सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि फेमिन रिलीफ इरिगेशन, पी. डब्ल्यू. डी., प्लानिंग इत्यादि विभागों का आपस में कोऑरडिनेशन हो। अकाल एक ऐसी चीज है जिसमें काफी पशु और कभी कभी मनुष्य भी मर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने के लिये इन विभागों का सामञ्जस्य बैठा कर पैसा खर्च किया जा सकता है । अकाल दृष्टि से जिन कार्यों को हम पांच साल में खत्म करना चाहते हैं उनको अकाल की दृष्टि से प्रायोरिटी देकर, आज उन कामों को लेकर, हम जनता को राहत दे सकते हैं । यही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक लोगों को अकाल के भीषण ताप से बचा सकते हैं ।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में बहुत सारी बातें कह दी हैं । इस भाषण में और भी बातें जोडी जा सकती थीं । परन्तु जो भी चीजें श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में रखी हैं वह सरकार की सफलताओं का एक तरह से दिग्दर्शन है । यह बहुत अच्छी चीज है कि सरकार का शासन सफलता पूर्वक चले, क्योंकि इससे आगे बढ़ावा मिलेगा; इसमें कोई संदेह की बात नहीं । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अगर इन सारी चीजों का, सरकार उचित ढंग से प्रकाशन करे और उसमें हमें बतलावे कि अमुक कमी है तो उसको अधिक अच्छा बतलाया जा सकता है बनिस्पत जैसा कि स्वरूप अभी हमारे सामने रखा गया है । आज जिन कानूनों को, बिलों को, सदन के सामने रखा गया है, उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें ऐसे भी कानून हैं जिनके द्वारा राजस्थान की जनता को काफी अधिकार दिये गये हैं । पंचायत एक्ट तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो बिल रखे गये हैं, मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायतें ही हमारे स्वराज्य की पहली सीढ़ी हैं । इसलिये सिर्फ सदन के सामने रखकर ही हम उसकी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो जाते हैं ; हमें इस बारे में ठीक ढंग से लोगों के सामने उसके फायदे रखने चाहियें, उसका मकसद बतलाना चाहिये । पंचायत एक्ट पास हो जाने से आम जनता को क्या फायदा होगा, इस बारे में भी जनता को शिक्षण मिलना चाहिये । अगर इस प्रकार का शिक्षण नहीं मिलता है तो हमारा मकसद अधूरा ही रह जाता है । मैं इस दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रयत्नों द्वारा जनता में स्वायत्त शासन की प्राप्ति के बाद नागरिकता की भावना पैदा होनी चाहिये ।

इसमें कोई शक नहीं कि पिछले दिनों प्लानिंग को लेकर इसमें काफी प्रगति हुई है और उसमें सफलता भी मिली है । पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेन्स बुलाई गई थी, चंबल प्रोजेक्ट को पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करवाने के लिये ।

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

हम लोगों को भी प्रसन्नता है कि इसके जरिये जो लाभ होगा वह एक बड़ा लाभ होगा । चम्बल के जरिये बड़े बड़े काम हो सकेंगे । मगर एक निवेदन जो इस बारे में करना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स से हमें खुशी ही नहीं हो, मगर जैसा कि हम देखते हैं हमारे यहां जो प्रोजेक्ट्स कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स के रूप में स्वीकार हुए हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी एक ब्लॉक स्वीकार हुआ है, मैं यह देखता हूं कि सरकार इस विषय में यह स्पष्ट नहीं कर सकी है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट का जो मकसद है कि जनता सहयोग दे, मगर जनता किस प्रकार से सहयोग दे? क्या वह पूंजीपतियों का सा सहयोग हो जो पैसे के

में चाहते हैं या वह एक ऐसा सहयोग है कि किसी ने एक बिल्डिंग बना कर दे दी ? हमने एक अस्पताल बना दिया है इसमें रेकरिंग एक्सपेन्डीचर गवर्नमेन्ट दे। क्या जनता का सहयोग यही है अथवा वह सहयोग है जो मजदूर लोग खुशी खुशी से वहां काम करते हैं ? या वह सहयोग यही है कि जिस जगह, जहां पर यह कम्युनिटी प्रोजेक्टस के ब्लॉक्स हैं वहां कॉन्फरेन्सेज हो जाती हैं और उन कॉन्फरेन्सेज को देखने के लिये लोग-बाग शरीक हो जाते हैं; किसी दिन झाडू दे देते हैं या कुदाली चला लेते हैं ? मैं समझता हूं कि इन प्रोजेक्टसका यदि यही मकसद है तो सरकार को उसपर गंभीरतापूर्वक विचार करना है। अगर हम किसी प्रकार कम्यूनिटी प्रोजेक्टस एरिया के अन्दर, कम्यूनिटी प्रोजेक्टस एरिया के बाहर, और कम्यूनिटी प्रोजेक्ट एरिया के परे जनता का सहयोग लेना चाहते हैं,आर्थिक रूप में अथवा श्रम के रूप में या सामाजिक प्रयोग के रूप में, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विषय में हमारा जवाब स्पष्ट होना चाहिये, और हम साफ दिमाग से लोगों को बतला दें कि इस प्रकार से लोग सहयोग दे सकते हैं। लोग इन्तजार करते हैं इस बात का कि क्या क्या काम कम्यूनिटी प्रोजेक्ट एरिया के अन्दर किया जा सकता है।

बैकवर्ड क्लासेज के बारे में उल्लेख किया गया है। सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से मैं उस क्षेत्र का निवासी हूं जो बैकवर्ड क्लासेज एरिया में आता है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरियामें आता है। मेरे एक साथी शिड्यूल्ड ट्राइब्स में से भी हैं जो चुनाव में इस असेम्बली के अन्दर वहां से आये हैं। अतः इस बारे में मेरी विशेष जानकारी है। जहां तक बजट का सवाल है वह मन्जूर किया गया है। स्कूलें भी कायम हुई हैं। मगर एक बड़ा भारी तबका ऐसा है जिसमें मैं महसूस करता हूं कि आज भी काम करने की जरूरत है। उदाहरणार्थ डूंगरपुर को शिड्यूल्ड एरिया के अन्दर लिया है, बांसवाडा डिस्ट्रिक्ट को लिया है और प्रतापगढ़ को आपने शिड्यूल्ड एरिया के अन्दर लिया है। मगर उन्हीं जातियों के लोग जो आज सोमा भाई, माना भाई, हरिराम भाई, बांसवाडा, प्रतापगढ और डूंगरपुर से आये हैं, उन्हींकी जाति के लो भील, उदयपुर के दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले हैं, उन लोगों को आज तक न जाने किनकी गलतियों के कारण शिड्यूल्ड एरिया स्वीकार नहीं हुआ है यह किन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों के कारण रहा है। मगर हम इन चीजों को कहां तक टालते रहेंगे। माना कि इसको स्वीकार करना गवर्नमेन्ट आॅफ इन्डिया के हाथ की बात है और माना कि गवर्नमेन्ट ग्रॉफ इन्डिया ने इसके लिये एक कमीशन नियुक्त किया है। मगर मालुम ऐसा पडता है कि प्रजातन्त्र में एक बात तो अभिशाप बन कर सामने आयी है वह है हर बात का ढीला पड जाना। वह ढील इसके अन्दर भी पड गई है। ऐसा हम मानते हैं। परन्तु हम उन लोगों को ग्रागे बढाना है। १० वर्ष के समय में हम उन्हें समान स्तर पर लाना चाहते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कोटडा, मोमट और खेरवाडा तथा उदयपुर के परे के लोगों को, जो भील हैं, जो क्रिमिनल ट्राइब्स में ग्राते हैं उनको अन्य शिड्यूल्ड एरिया और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की तरह १० वर्ष के अन्दर समान स्तर पर कैसे लायेंगे ? आया उनके लिये विशेष रुपये स्वीकार करेंगे ? यदि विशेष रुपये स्वीकार करने का सवाल आयेगा तो बजट सामने आयेगा। ऐसी स्थिति में यह सवाल भारत सरकार और राजस्थान सरकार के लिये विचारणीय विषय है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार ऐसा तरीका भारत सरकार के सामने रखे कि जिसके जरिये यह समस्या स्पष्ट हो जाय। मैं राजस्थान सरकार और उसके मिनिस्ट्रों की ईमानदारी पर अविश्वास नहीं करता। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि उन्होंने इन सब के लिये काफी

प्रयत्न किया है। मगर इसके साथ इस बारे में यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि वे लोग क्यों महरूम रहें ? जो कि उनका ड्यू शेयर है उससे उन्हें क्यों अपने हक से महरूम किया जाय। जो गलतियां हमने की है, उन्हें दूर करें। मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर कुछ न कुछ प्रयत्न किया जाय।

वैसे कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर फिर मैं अपने उन शब्दों को दोहराऊंगा कि जहां किसी सरकार की ईमानदारी के बारे में कह रहे हों, धन्यवाद के प्रस्ताव को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, उसके बारे में हम एक पैमाने से जो काम लेना चाहिये वह यह कि जो कुछ हम कर सकते हैं उसको हमने ईमानदारीपूर्वक किया है या नहीं। यदि हम यह पैमाना हमारे सामने रखेंगे तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि राजस्थान सरकार ने दृढ़तापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक और योग्यतापूर्वक उन सभी प्रयत्नों को किया है जो कि एक सरकार कर सकती थी। इन शब्दों के साथ में कासलीवालजी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जसवन्तसिंह (विरोधी दल के नेता)—उपाध्यक्षजी महोदय, इस सदन के सामने कुछ कहने को खडा हुआ हूं और मुझे बोलना भी बहुत कुछ है, लेकिन बहुत से मंत्री महोदय इस वक्त यहां नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत कुछ सुझाव रक्खूं। यदि वे यहां होते तो उनको जवाब देने में सहूलियत होती। मगर फिर भी आपने मुझे बोलने के लिये आदेश दिया है इसलिये मुझे दो चार शब्द कहना ही चाहिये।

सर्व प्रथम मुझे असेम्बली, विधानसभा, के कर्मचारियों से थोडीसी शिकायत है। वह यह है कि मैं यह समझता था कि अनुभव प्राप्त करने पर हमें और बहुत ज्यादा सहूलियतें मिलेंगी, और जो कठिनाइयां महसूस होती थी वे हटा दी जायंगी। पहले तो ऐसे अवसरों पर, जब श्रीमन्त राजप्रमुख का अभिभाषण यहां होता था उसी वक्त उनके अभिभाषण की कॉपियां दे दी जाती थीं और इससे उसके जवाब बनाने में हमें सहूलियत मिल जाती थी। मगर इस बार श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण होने के बाद कॉपियां शाम तक नहीं मिलीं। मुझे पांच बजे कापी मिली। मगर बहुत से सदस्य ऐसे थे जिनके पास कापियां और देर तक नहीं पहुंची। इसके लिये हमें एतराज है। मैं आशा करता हूं कि असेम्बली सेक्रेटेरियेट आयन्दा इस बात का ध्यान दे, क्योंकि इसमें जो हिस्सा लेने वाले हैं वह पूरा कन्ट्रीब्यूशन दे सकें।

दूसरी बात श्रीमन्त राजप्रमुख के अभिभाषण पर मुझे जो कहनी है वह यह कि पिछले दो मौकों पर मैं एतराज कर चुका हूं, और मैं यह समझता हूं कि हमारी सरकार शायद यही हम लोगों से, विरोधी दल वालों से, आशा करती है कि जितनी बार भी वह कह सकें कहें ; ताकि वह कह कह कर थक जांय तो फिर एतराज नहीं करेंगे। लेकिन यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जब तक हमारी सरकार वाजिब सुझावों पर ध्यान नहीं देगी, हम हमेशा एतराज करते रहेंगे। वह सुझाव यह है कि श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में यह बतलाया है कि गत अधिवेशन म पास हुए महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक राजस्थान राज्य भाषा अधिनियम है जो हिन्दी को अपनाने की व्यवस्था करता है। अगर इसी हिन्दी के प्रचार के लिये हमारी सरकार इतनी उत्सुक है तो राज्यपाल या राजप्रमुख जो कि इस रियासत के सर्वोच्च अधिकारी हैं क्या उन्हें हिन्दी में, अपनी राष्ट्रभाषा म स्पीच नहीं देना चाहिये थी और अगर उन्हें हिन्दी बोलने में बाधा होती थी तो क्या हमारी सरकार के पास ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो कि

उनके भाषण का हिन्दी म अनुवाद कर सकता है ? मगर फिर भी हमारी सरकार का, क्योंकि वह सरकार कहलाती है, ऐसे सुझावों पर ध्यान आसानी से नहीं जाता है । हिन्दी भाषा का प्रेम केवल दिखाने के लिये ज्यादा है और असल काम करने के लिए नहीं है । लेकिन जब भी हमको मौका मिलेगा और जब तक सरकार का हृदय कुछ पिघल न जाय तब तक हम कहते रहेंगे ।

अब मैं श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण के उस विषय पर आता हूं जहां आपने फरमाया कि वर्तमान अवसर पर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसका हमें सबसे अधिक ख्याल है, वह है राज्य की विकट आर्थिक स्थिति । विभिन्न परिस्थितियों के कारण राज्य की अर्थ व्यवस्था कुछ समय से चिन्ता का कारण बनी हुई है । राज्य की विकट आर्थिक स्थिति यह चिन्ता का कारण हमारी सरकार के सामने बन गया है । जहां तक मैं देख सका हूं सरकार के मंत्रिगणों के चेहरों पर किसी प्रकार की चिन्ता देखने में नहीं आती । उनके चेहरों पर मुस्कराहट और हर तरह से खुशी और आनन्द मालूम होते हैं । अगर यह विषय चिन्ता का विषय होता तो जरूर उनके चेहरों पर असर आता और उदासी होती । मैं नहीं कहता कि वे विभिन्न परिस्थितियें क्या हैं जिनका कि हमारे श्रीमन राजप्रमुख ने अपने भाषण में उल्लेख किया है ।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--वीर लोग हंस हंस कर मुसीबतों का मुकाबला करते हैं ।

श्री जसवन्तसिंह--जहां तक मैं देख सकता हूं एक कारण बिलकुल साफ है और वह यह है, मेरे मित्र मुझे क्षमा करेंगे, कि राज्य में जो फिजूलखर्ची हो रही है वह फिजूलखर्ची मंत्रियों पर है । यदि ये लोग आर्थिक स्थिति पर ध्यान देवें तो मैं यह नहीं कह सकता कि इतनी विकट स्थिति क्यों पैदा हो सकती है । दो तीन बातें मैं सदन के सामने रखूंगा जिससे यह साफ प्रकट होगा कि हमारी सरकार ही इस विकट आर्थिक स्थिति की जिम्मेवार है ।

सदन को यह याद होगा कि पिछले दो अवसरों पर अपोजीशन की तरफ से यह सुझाव रखा गया था कि हमारे जयपुर में "सी" स्कीम के प्लॉट्स बेचे गये । उस सम्बन्ध में बहुत दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उसमें भी सरकार को बहुत कुछ बदनामी उठानी पड़ी, जैसा कि अभी हमारे मित्र ने कहा है । मगर मैं यह कहूंगा कि इसमें भी लाखों करोड़ों रुपये का घाटा हुआ और प्लॉट्स बगैर नीलाम किये बहुत सस्ती कीमतों में उन लोगों को मिले जो मंत्रियों के रिश्तेदार और कृपा-पात्र थे । अगर हमारी सरकार सच्चाई में होती तो उसने क्यों नहीं पब्लिक इन्क्वायरी मंजूर की । इससे मालूम होता है कि हमारी सरकार खुद फजूलखर्ची में पब्लिक का रुपया किस प्रकार बरबाद कर रही है । ये लाखों रुपये पब्लिक के अपने निजी लाभ के लिये लिये गये । अभी कांग्रेस सरकार के दिन हैं । वे यह सोचते हैं कि जो कुछ हम करना चाहिये करलें और जो कुछ वे करना चाहें कर सकते हैं । वे यह भी समझते है कि हमें कोई कहने वाला नहीं है । ठीक है जबतक उनके दिन हैं करते जांय, जो कुछ वे करना चाहें करें । लेकिन मैं अपने मित्रों को एक मित्र की हैसियत से यह बताना चाहता हूं कि हमेशा ये दिन नहीं रहेंगे । मुमकिन है कि एक दिन इनकी (एच. के. व्यास, कम्यूनिस्ट, की तरफ इशारा करते हुए) भी सरकार बन जाय ।

श्री टीकाराम पालीवाल--आप तो अब बिल्कुल निराश हो गये क्या ?

श्री जसवन्तसिंह–जिस प्रकार हमारी मौजूदा सरकार चल रही है, ईश्वर न करे, हमारे मित्र (श्री एच. के. व्यास की तरफ इशारा करके) की पार्टी एक दिन पावर में आ जाय तो कोई मुश्किल बात नहीं। यह चेतावनी में आपको एक मित्र के नाते देना चाहता हूं क्योंकि वह पार्टी असल एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली पार्टी है, जिसको देश के लिये प्रेम है। वे पक्षपात की कार्यवाही नहीं करेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो वे इस विषय पर इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी बिठावें और देखें कि क्या क्या गुल खिलते हैं, और जनता के चेलेन्ज को स्वीकार करें; वरना जो होने वाला है वह होगा ही।

दूसरा सुझाव हमने पिछली मीटिंग में जो रखा था वह हमारे मंत्रियों की मोटरों के खर्च के बारे में था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी देश में केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों की मोटरों पर भी इतना खर्च हो सकता है जितना कि हमारे मंत्रियों की मोटरों पर हो रहा है? इस समय जो मुख्य मंत्री हैं। वे क्या हिम्मत करके बता सकते हैं कि पिछले वर्ष में एक एक मंत्री पर उनकी मोटरों के लिये,कितना खर्च आया है। किसी भी प्रान्त को सरकार के मंत्रियों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों की मोटरों पर २५०। रुपये से बढ़कर खर्च नहीं आता है; पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि जांच करके देखा जाय तो मालूम होगा कि एक एक हजार से कम खर्च राजस्थान के किसी भी मंत्री पर नहीं आया है। फिर भी राजप्रमुख से कहलाया जाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति विकट है। इस विकट आर्थिक स्थिति की जिम्मेवारी किस पर है?

हमारे बीकानेर में गंग कालोनी करके स्थान है, जो कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति की रेमेडी है, इसपर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। वहां इतनी उपजाऊ जमीन है कि वैसी उपजाऊ जमीन पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम जगह मिल सकती है। पर वह हजारों एकड़ जमीन बगैर काम में लाये हुए बेकार पडी है। अगर सरकार की ओर से दिलचस्पी ली जाय तो लाखों रुपये उस जमीन से पैदा किये जा सकते हैं। पर इस दिशा में सरकार ने चार साल के असें में क्या किया। बातें जरूर करते हैं पर करते क्या हैं? क्या हम भारतवासी इतने कमजोर होगये हैं कि जब हम यह जानते हैं कि हमारा दुश्मन कितना चतुर है जो उस तरह की जमीन को काम में ले रहा है परन्तु हम उसे काम में नहीं ला सकते इधर हमारी इतनी उपजाऊ जमीन बेकार पडी है। दूसरी तरफ भावलपुर में सावधानी से उस तरह की जमीन पर काम किया जा रहा है।

एक ओर सरकार कहती है कि हमारे पास जमीन नहीं है, उदयपुर, शेखावाटी, जोधपुर आदि में एक एक बीघा जमीन के लिये सर फूट रहे हैं, समस्या खडी हो गई है।

यदि हमारी सरकार आर्थिक स्थिति को सच्चे दिल से सुधारना चाहती है तो ये दो तीन बातें जो बहुत मामूली आर्थिक स्थिति की हैं, और अभी ऐसी बीसियों बातें बता सकता हूं, यदि इन्हें सरकार वाजिब समझ कर माने तो आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। क्या कारण है कि इसी राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें सरप्लस थीं? अभी भाखरा डेम बन रहा है। उसकी नहरें राजस्थान में लाने का सवाल है। पर सरकार के पास पैसा

नहीं है। बीकानेर छोटी सी रियासत थी। वहां के महाराजा साहब ८-१० करोड़ रुपये खर्च करके, केवल अपने बलबूते पर, बिना किसी बाहरी मदद के गंग नहर लाये; इसका क्या कारण था। उनमें देश प्रेम था। वे पब्लिक की भलाई को सब से अधिक ध्यान में रखते थे। आज क्यों हम लोग पिछड़े हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डालता हूं। कोई वजह नहीं है कि यहां इतना घाटा रहे जब कि राजस्थान की अलग अलग रियासतें सरप्लस में थीं। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि इसमें हमारी रियासत की सरकार का कोई दोष नहीं है क्योंकि रियासत की आमदनी के जो जरिये थे वे सब केन्द्रीय सरकार ने ले लिये। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सरासर झूठी बात है, सदन को भ्रम में डालने की बात है। मेरे मित्र, मुख्य मंत्री अभी सदन में नहीं हैं; मैं उन्हें चेलेंज देना चाहता हूं कि यह सरासर झूठी बात है। वे यह क्यों नहीं कहते कि हम इस भार को नहीं संभाल सकते। वे यदि काम को नहीं संभाल सकते तो दूसरों को भ्रम में डालने की कोशिश क्यों करते हैं। सदन के दूसरे सदस्य भी इस भेद को जानते हैं कि वह कौनसी चीज है जिसे केन्द्रीय सरकार ने ले ली है जिसकी वजह से हमको घाटा होरहा है। रेलवे की नेट इनकम कितनी थी क्या उन्होंने जानने की कोशिश की? सिर्फ जोधपुर और बीकानेर दो मेजर रेलवेज थीं जिनकी इनकम कुछ ज्यादा थी। पार्टिशन के बाद बीकानेर रेल्वे की नेट इनकम सब से अधिक थी और दूसरे नम्बर में जोधपुर रेलवे थी। जयपुर और उदयपुर रेलवे छोटी छोटी थीं। इन सब की नेट इनकम डेढ़ करोड़ रुपया थी, जो केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान से लेली है, जो कि वाजिब नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में डिफेन्स का सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार देती है। रेलवे का जहां तक संबन्ध है डेढ़ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने लिया; पर जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतें अपनी फौजों पर २ करोड़ से अधिक रुपये खर्चा करती थीं; अब राजस्थान सरकार को खर्च नहीं करने पड़ते, वे सारे रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च किये जाते हैं। उसके अलावा रियासती फौजों पर अलवर ३० लाख रुपया सालाना खर्च करता था, कोटा भी करीब २५ लाख रुपया खर्च करता था और इसी तरह उदयपुर भी २५-३० लाख रुपया खर्च करता था और अन्य छोटी छोटी रियासतें भी अपनी अपनी फौजों पर कुछ खर्च करती थीं। इस तरह से राजस्थान की रियासतों की फौजों का ४-५ करोड़ रुपया सालाना का खर्चा राजस्थान सरकार के बजाय केन्द्रीय सरकार को करना पड़ता है और बदले में रेलवे की डेढ़ करोड़ रुपये की आमदनी हम से उन्होंने ली है। ऐसी हालत में आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा आर्थिक आधार केन्द्र ने ले लिया है। यह बात ज्यादा चलने वाली नहीं है। यदि सरकार जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो क्यों नहीं कहती कि इतना भार लेना उनकी ताकत से बाहर है, मेनेजेबिल नहीं है; लेकिन इस प्रकार से भ्रम में डालने की बात नहीं कहनी चाहिये।

एक सुझाव में फिर सरकार को देना चाहता हूं। मैं नहीं कह सकता कि सरकार उसे कहां तक मंजूर करेगी। वह सुझाव यह है कि केन्द्रीय सरकार और दूसरी रियासतों की सरकारों की तरह क्यों नहीं एस्टीमेट्स कमेटी इस हाउस की मुकर्रर की जाय। उसमें सरकार के सदस्य भी होंगे और हमारे विरोधी दल के सदस्य भी होंगे और अन्य अनअटेच्ड मेम्बर्स भी होंगे और फिर भी बजट बेलेंस नहीं होगा तो उनकी जिम्मेदारी होगी और हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी होगी इसके बगैर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। श्रीमन् राजप्रमुख ने फरमाया है कि हमें दलबन्दी से ऊंचा उठना चाहिये। यदि हमारा सहयोग सरकार लेना चाहे तो अवश्य ही हम देने को तैयार हैं और यदि यह

सरकार यह चाहे कि ऐशोआराम पर फिजूल खर्च करें और उसकी जिम्मेदारी में भी हम उनका साथ दें तो मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी बातों की जिम्मेदारी लेने को हम तैयार नहीं हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जनता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं। अगर ऐस्टीमेट कमेटी एपॉइन्ट करके सदन के उस तरफ के और इस तरफ के सदस्यों को उसमें लिया जाय तो हम जानते हैं कि हम भी इस विषय में जिम्मेदार हो सकते हैं। यदि इस तरफ के सदस्यों को नहीं लिया जाता है तो हम इस विषय में जिम्मेदार नहीं होंगे। आर्थिक स्थिति के लिये इतना ही कहना है कि जो कुछ स्थिति पैदा होगई है वह सरकार के द्वारा ही हुई है और उसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर ही है किसी दूसरे पर नहीं।

अब सवाल रहा कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में। मैं भी सरकार को इसमें बधाई देता हूं और हम भी खुश हैं कि वाकई में कानून और व्यवस्था अच्छी रही है, बहुत कुछ हुआ है मगर अब भी इसमें बहुत कुछ करना है। इस सदन में अभी पूर्व वक्ता ने इस सम्बन्ध में एक दो संकेत किया है। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूं किन्तु मेरे पूर्व वक्ता ने कुछ ऐसा संकेत किया है जिस पर मेरे लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि मैं भी कुछ इस विषय पर कहूं। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री और जो अब उप-मुख्य मंत्री हैं, पिछले साल यानी पिछले अधिवेशन में बहुत कुछ बता चुके हैं और उन्होंने बहुत कुछ करके भी दिखलाया है। उनकी कृपा, उन्हींके शब्दों में "विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग" पर विशेष रही है। इस सदन के इस ओर वाले (विपक्ष की ओर संकेत करते हुए) कुछ सदस्यों पर भी उनकी कृपा के फल-स्वरूप उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी यानी जेल यात्रा भी करनी पड़ी है। जाति विशेष पर भी उनका कोप हुआ था और काफी तादाद में जाति विशेष के लोगों को जेल की यात्रा करनी पड़ी किन्तु वे सब निर्दोष करार दे दिये गये। कानून और व्यवस्था में सुधार जरूर हुआ है किन्तु यदि हमारे साथियों का यह तरीका है और उनका यह विचार है कि चूंकि हमने सख्त कदम उठाये, इस सदन के कुछ विरोधी पक्ष के सदस्यों को जेल में डाला और कुछ वर्ग विशेष के सदस्यों को पकड़ कर जेल में डाला जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने इस विषय में संकेत किया था, तो हमें खेद जरूर होता है; क्योंकि हम चाहते हैं कि कानून और व्यवस्था के सुधरने में हमारा भी उतना ही हित है जितना कि सरकार का। हम भी राजस्थान की जनता हैं और उनके प्रतिनिधि हैं। हम चाहते हैं और हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस प्रान्त का कार्य जितना अच्छा होगा उतना ही हमारे लिये शोभा की बात होगी। लेकिन अगर तर्क, ये विचार हमारे साथियों के हैं कि ऐसे कदम इस विचार से उठाये गए कि ऐसा करना ही उचित था तो मैं कहना चाहता हूं कि मुमकिन है कि यह ठीक ऐसा ही हुआ होगा। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि इधर पक्ष के कुछ व्यक्ति खराब भी हो सकते हैं। सब तो एक तरह के नहीं हो सकते हैं। किन्तु यह भी मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं कि उधर पक्ष के सब ही व्यक्ति ठीक ही हैं, किसी में भी किसी प्रकार की खराबी नहीं है। और यह शायद उधर पक्ष के सदस्यों का भी विचार नहीं हो सकता। मैंने पिछले सेशन में यह आश्वासन दिया था कि इस सदन में हमको इस बात में विश्वास दिलादे कि अमुक सदस्य का इसमें हाथ था। लेकिन यदि हमको वातावरण ठीक करना है तो इस प्रकार का संकेत नहीं करना चाहिये। तो इस आधार पर मैं यह कहूंगा कि इसमें

अभी सुधार नहीं हुआ है और किसी हालत में भी सुधार नहीं होगा। यदि यही तर्क है तो में चेलेन्ज देने के लिये तैयार हूं, और मेरे मित्र मुझे माफ करेंगे। हमारे होम मिनिस्टर, हमारे होम सेक्रेटरी और आई. जी. पी. को जेल में बिठा दिया जाय जिनके हाथ में न्याय और व्यवस्था के करने की जिम्मेदारी है। तब भी चार-पांच महीनों के बाद न्याय और व्यवस्था में और भी सुधार पाये जायंगे। यदि पहला तर्क ठीक है तो यह तर्क भी ठीक हो सकता है। (विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि) किन्तु अफसोस है कि यह एक विचार चल पडा है कि जाति विशेष और वर्ग विशेष पर न्याय और व्यवस्था के न सुधारने की जिम्मेदारी है। अत: कृपा करके ऐसे छोटे विचार छोड़ दिये जाने चाहियें।

अब में आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी के मुतल्लिक दो शब्द कहना चाहता हूं। हम भी उनकी प्रशंसा करते हैं। जिस कठिन परिस्थिति में वे कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही कठिन है और प्रशंसनीय है। में नहीं कह सकता हूं कि किन किन को उनकी कठिनाइयों का ज्ञान है। दुर्भाग्य या सौभाग्य से में उसी स्थान का रहने वाला हूं जहां यह आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी काम कर रही है। उनकी परिस्थिति में बतलाऊं कि गंगानगर कॉलोनी में रायसिंहनगर से घुड़सरा ग्राम तक इस कॉन्स्टेबुलरी का प्रोविजन पहुंचा दिया जाता है। वहां से दस पन्द्रह मील तक पैदल अपने कन्धों पर शस्त्रों के साथ साथ प्रोविजन भी उन्हें ही ले जाना पड़ता है। उनके लिए न ऊंटों का प्रबन्ध है न मोटर या जीप का और न वहां उनके लिए निवासस्थान की कोई स्थिति है। वह मुल्क भी ऐसा है जहां पानी की भी बडी कठिनाई पड़ती है पर उनकी इस कठिनाई को हल करने का कोई प्रबन्ध नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थितियों मे वे काम करते रहे हैं। पर में यह भी बताना चाहता हूं कि इन कठिन परिस्थितियों में भी वे क्यों काम करना पसन्द करते हैं। वे कोई देश प्रेम की भावना से ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे केवल उदरपूर्ति के लिये ऐसा कर रहे हैं। आज कल स्थिति ऐसी होगई है। उनकी राजप्रमुख द्वारा प्रशंसा कर दी गई है तो इससे उनको कोई सन्तोष हो जायगा ऐसा अगर यह हाउस सोचता है तो में कहना चाहूंगा, हाउस को, कि इससे कोई सन्तोष नहीं होगा। लेकिन साथ साथ ही सरकार द्वारा क्या किया जाता है उनके लिए, यह सोचने की बात है। अब वहां पर, ऐसी स्थिति में हम अगर सोचें कि वे डाकू दलों का या जो दूसरे ऐसे तत्व हैं जो देश के दुश्मन हैं, उनका वे मुकाबला करेंगे और पूरी सफलता से करेंगे तो हमारा यह सोचना ठीक नहीं है। अगर वे मुकाबला करेंगे और उनका नुकसान हो जावे तो अपनी सरकार क्या करेगी उनके लिए? में दावे के साथ कह सकता हूं कि क्योंकि हम उन स्थानों के रहने वाले हैं? मगर जनता के साथ जहां तक उनके सम्पर्क का प्रश्न है यह एक सोचने की बात है। मुमकिन है हमारी सरकार के कुछ सदस्य जो उधर की कॉन्स्टिट्युएन्सी से आये हों वे थोडा बहुत जानते हों। लेकिन बीकानेर डिविजन उन अभागे डिविजनों में से है जहां से हमारी सरकार बिलकुल विमुख है। उन्होंने बीकानेर से बहुत काफी लाभ तो उठाया है। लाभ उठाने में तो सबसे आगे है लेकिन उसके बदले में बीकानेर को जहां फायदा देना है उसको देने के लिए कोई भी तैयार नहीं। अभी जैसा मेरे मित्र जोशीजी ने फरमाया कि अब वहां डाकुओं का नाम भी नहीं रहा है, में उनसे निवेदन करूंगा कि वे कुछ दिन इस इलाके में रहकर देखें कि वहां कैसे कैसे डाकू हैं। स्पीच दे देना और बात है। यह कह देना कि हमारी सरकार ने कानून और व्यवस्था का बहुत अच्छा काम कर दिया,

ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया; आसान है। मैं उनसे कहूंगा कि वे थोड़ा जैसलमेर के इलाके में जाएं, हमारे इधर आएं। आप देखेंगे कि वहां डाकुओं की क्या स्थिति है?

अभी हाल में ही उस इलाके में डाका पड़ा जहां से २४ मील दूरी पर ही आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी पडी थी। यह पाकिस्तान से थोडी दूरी पर जगमालसिंह-भंवरसिंह आदि का गैंग है। वहां यह अमल होता है।

सारे ही सिंह हैं जो कुछ दोष है वह सिंहों का है।

अगर सिंहों को राजस्थान से निकालना चाहते हैं तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी। यह भी कैसे होगा क्योंकि जिनका संकेत कर रहे हैं वैसे ही कुछ हमारे सिंह उधर भी बैठे हैं जिनके मूंछ और दाढी भी है।

(राजपक्ष की ओर से–"सिंह नहीं बब्बर शेर हैं")

श्री जसवन्तसिंह–डाका पड़ा और डाके के पड़ने के बाद हमारी आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी को यह कहा गया कि अभी जो डाका पड़ा है उसको ढूंढ निकालने का बन्दोबस्त करिये। २४ मील तक पैदल, शस्त्र लेकर आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी को मदद देने के लिए गए। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या वे डाकू तब तक वहीं रहे होंगे? क्या उनपर ऐसा जादू कर दिया गया है कि वे उस स्थान को छोड़कर आगे नहीं जावेंगे? नामुमकिन बात है। कानून और व्यवस्था की रिपोर्ट देखकर आपने कह दिया कि कानून और व्यवस्था की हालत ठीक है किन्तु आप उस स्थान पर जाकर तजुर्बा करिये और फिर कहिये कि कानून और व्यवस्था की हालत किस प्रकार है। बिना ऐसा किये कानून और व्यवस्था के बारे में कुछ भी कहना एक भ्रम मात्र है।

इसी के मुताल्लिक एक बात और मैं कहना चाहता हूं। क्या इसी प्रकार हम अपने बहादुर सिपाहियों को उत्साह दिला सकते हैं। अभी हाल ही में एक सब-इन्स्पेक्टर, श्री चिमनसिंह, जो जैसलमेर एरिया में था, उसको कहा गया कि उन लोगों को तुम चेहरे से जानते हो इसलिये तुम सी.आई.डी. के तौर पर, भेष धारण करके, बोर्डर में घुस जाओ और जिस तरह भी हो सके उनका पता लगाओ। उस सब-इन्स्पेक्टर ने, कुछ आदमियों को अपने साथ में लेकर, विश्वास के साथ, अपने पेट के लिये, इतना बडा खतरा मोल लिया। उसका नतीजा यह निकलता ह कि क्योंकि जो डाकू होते हैं वे बडे होशियार होते हैं और उनको हमारे मित्र, पाकिस्तानियों की पूरी मदद होती है उनको इन्टेलिजेन्स ब्रान्च द्वारा बराबर खबरें मिलती रहती हैं, मैंने 'मित्र' शब्द व्यंग में कहा है······

श्री टीकाराम पालीवाल—आपने 'मित्र' शब्द का प्रयोग बहुत बार किया है क्या वह भी व्यंग में ही था।

श्री जसवन्तसिंह—चिमनसिंह इस काम के लिए पाकिस्तान की बाउन्ड्री के पास में गया और वह वहां डाकूओं द्वारा पकड लिया गया। उसके साथी, कुछ आदमी, मार दिये गये, कुछ आदमी डाकुओं द्वारा पकड लिये गये। वे पाकिस्तान के बोर्डर पर बैठे हुए हैं, उसको कैदी बना रखा है। उसके स्त्री-बच्चे मेरे पास आये। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं. डी. आई. जी. के पास जाओ, वे शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। चिमनसिंह को उन्होंने मारा नहीं है। वे कहते हैं कि यदि १५ हजार रुपये हमें दिये जायंगे तो हम उनको छोड़ सकते हैं। उसकी स्त्रीने जिसके पास करीब तीन हजार का माल है वह तीन चार हजार रुपये देने के लिये तैयार है; बाकी रुपये की व्यवस्था उनके पास नहीं है। क्या सरकार इसमें मदद देने के लिए तैयार है। अगर सरकार १५ हजार रुपये देकर उसको छुडवा सकती हैं तो हमारे पुलिस के कर्मचारियों का इससे उत्साह बढ़ सकता है, हमारे बहादुर सिपाहियों की हिम्मत बढ़ सकती है। आजकल इस प्रकार के पैसे लेकर दुर्भाग्यशाली कैदियों को छोडने की वारदातें बहुत हो रही हैं। आप अगर चाहते हैं कि हमारे सिपाही अपना सर्वस्व खोकर भी देश की सेवा करें; जनता की सेवा करें तो उनकी बहादुरी का जरूर इनाम मिलना चाहिये। अगर हम अपने सिपाहियों को सन्तुष्ट नहीं कर सकते तो हमें राज्य करने के काबिल नहीं समझा जा सकता।

जब सरकार अपने सिपाहियों से जान चाहती है और जब वह अपनी जान देंगे और सरकार के लोग केवल संतोष करके रह जाते हैं तो यह तो एक अफसोस की बात रह जाती है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

अभी मुझे बहुत कुछ कहना है, अगर आप टाइम दें और कल बोलने की इजाजत दें तो मैं कल अर्ज कर सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—समय हो गया है इसलिये सत्र की कार्यवाही कल ८.३० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लीडर ऑफ अपोजिशन अपना अपूर्ण भाषण कल संपूर्ण करेंगे।

(सभा की कार्यवाही १२.३२ पर समाप्त हुई और सदन की बैठक तारीख ११ फरवरी, १९५३, के ८.३० बजे प्रातः तक के लिए स्थगित की गई)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १० फरवरी, सन् १९५३ ई०

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No.67

(अतारांकित प्रश्न, जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न संख्या १

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यातायात मंत्री महोदय यह बतालाने की कृपा करेंगे—

(क) बूंदी, कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की मोनोपोली अब तक चली आ रही है?

(ख) यदि चली आ रही है तो क्यों?

(ग) क्या सरकार उस कम्पनी को कोई खास रियायत देना चाहती है?

उत्तर—

(क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नहीं।

प्रश्न संख्या २

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलानें की कृपा करेंगे—

(क) जहाजपुर में छात्रावास की इमारत अब तक क्यों नहीं बनाई गई है?

(ख) क्या सरकार वहां छात्रावास बनाने का इरादा रखती है?

उत्तर—

(क) राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहाजपुर में छात्रावास की इमारत फिलहाल नहीं बनवाई जा सकती।

(ख) जहाजपुर में छात्रावास के लिये भवन बनवाना सरकार उचित समझती है किन्तु छात्रावास के लिये भवन तैयार करवाने की अपेक्षा पहले उन स्थानों पर भवन तैयार करवाना आवश्यक है जहां स्कूल के लिये भी भवन नहीं हैं। उक्त क्रम के अनुसार जब जहाजपुर के छात्रावास की बारी आयेगी तब सरकार की आर्थिक स्थिति को दृष्टिकोण में रखते हुए वहां के लिये भवन तैयार करवाया जायगा। यदि किसी देशोपकारक सज्जन अथवा जहाजपुर की जनता की ओर से छात्रावास के निमित्त बबब अथवा भवन के लिये आर्थिक सहायता मिल जाय तो वह कार्य शीघ्र हो सकता है।

प्रश्न संख्या ३

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) जहाजपुर को टाउन एरिया घोषित कर दिया गया है परन्तु वहां पर अभी भी नगरपालिका स्थापित नहीं की गई है?

(ख) यदि स्थापित की जावेगी तो कब तक?

उत्तर—

(क) जहाजपुर को टाउन एरिया कभी घोषित नहीं किया गया। वहां पर तो ग्राम पंचायत कार्य कर रही है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।